

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 फरवरी 2016—माघ 30, शक 1937

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2016

क्र. ई-1-7-2016-5-एक.—भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा डॉ. मनोहर अगनानी, भाप्रसे (93), आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग एवं आयुक्त, सामाजिक न्याय का नामांकन दिनांक 15 से 25 जनवरी 2016 तक ब्राजील जाने वाले राष्ट्रीय प्रतिनिधि मण्डल में शामिल किया गया है.

(2) डॉ. मनोहर अगनानी, भाप्रसे (93) के उक्त प्रोग्राम में भाग लेने की अवधि में उनका प्रभार श्री फैज अहमद किदवई, भाप्रसे

(1996), मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई-1-7-2016-5-एक.—भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा डॉ. मनोहर अगनानी, भाप्रसे (93), आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग एवं आयुक्त, सामाजिक न्याय का नामांकन दिनांक 15 से 25 जनवरी 2016 तक ब्राजील जाने वाले राष्ट्रीय प्रतिनिधि मण्डल में शामिल किया गया है.

(2) डॉ. मनोहर अगनानी, भाप्रसे (93) के उक्त प्रोग्राम में भाग लेने की अवधि में उनका प्रभार श्री अजीत कुमार, भाप्रसे (2002),

मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग एवं आयुक्त, सामाजिक न्याय अस्थायी रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-5-781-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आर. के. माथुर, आयएएस., कमिश्नर, सागर संभाग, सागर को दिनांक 8 से दिनांक 12 फरवरी 2016 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 7 एवं 13, 14 फरवरी 2016 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री आर. के. माथुर की अवकाश अवधि में श्रीमती अलका श्रीवास्तव, भाप्रसे, अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, सागर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. माथुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री आर. के. माथुर द्वारा कमिश्नर, सागर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती अलका श्रीवास्तव उक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्री आर. के. माथुर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. माथुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-918-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानी, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अनूपपुर को दिनांक 4 से 18 फरवरी 2016 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अनूपपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2016

क्र. ई-5-645-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मनीष रस्तोगी, आयएएस., प्रबंध संचालक, सड़क विकास निगम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग तथा सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 11 से 18 अप्रैल 2016 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8, 9, 10 अप्रैल 2016 एवं 19 अप्रैल 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री मनीष रस्तोगी की अवकाश अवधि में सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का प्रभार श्री हरिरंजन राव, भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम एवं आयुक्त, पर्यटन एवं सचिव, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, जन शिकायत निवारण विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री तथा सचिव, पर्यटन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष रस्तोगी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, सड़क विकास निगम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग तथा सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री मनीष रस्तोगी द्वारा प्रबंध संचालक, सड़क विकास निगम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग तथा सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का कार्यभार ग्रहण करने श्री हरिरंजन राव, सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री मनीष रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष रस्तोगी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-850-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बी. एम. शर्मा, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल को दिनांक 15 से 29 फरवरी 2016 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री बी. एम. शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री बी. एम. शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. एम. शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-949-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अशोक कुमार वर्मा, आयएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग को दिनांक 18 जनवरी से 27 फरवरी 2016 तक, इकतालीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 जनवरी 2016 एवं 28 फरवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार वर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अशोक कुमार वर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार वर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-983-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री साकेत मालवीय, आयएस., सहायक कलेक्टर, जिला सागर को दिनांक 15 फरवरी 2016 से 3 मार्च 2016 तक, अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13, 14 फरवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री साकेत मालवीय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, सहायक कलेक्टर, जिला सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री साकेत मालवीय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री साकेत मालवीय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 4 फरवरी 2016

क्र. ई-5-693-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अरूण तिवारी, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग को दिनांक 5 से 12 फरवरी 2016 तक, आठ दिनांक अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13 एवं 14 फरवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री अरूण तिवारी की अवकाश अवधि में श्री प्रभांशु कमल, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग को वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अरूण तिवारी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अरूण तिवारी द्वारा प्रमुख सचिव, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रभांशु कमल, प्रमुख सचिव, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अरूण तिवारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरूण तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-826-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएस., संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथ करघा तथा प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथ करघा विकास निगम को दिनांक 18 अप्रैल 2016 से 7 मई 2016 तक, बीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15, 16 एवं 17 अप्रैल 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथ करघा तथा प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथ करघा विकास निगम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही. रश्मि अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2016

क्र. ई-1-27-2016-5-एक(ए).—श्रीमती सुरभि गुप्ता, भाप्रसे (2008), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छिन्दवाड़ा (कनिष्ठ वेतनमान) को दिनांक 1 जनवरी 2016 से भाप्रसे का वरिष्ठ समय वेतनमान (रुपये 15600—39100—ग्रेड-पे 6600) स्वीकृत किया जाता है तथा उन्हें आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत तथा पदेन अपर कलेक्टर (विकास), छिन्दवाड़ा पदस्थ किया जाता है।

क्र. ई-1-444-2015-5-एक.—श्रीमती अरूणा शर्मा, भाप्रसे (1982), वि.क.अ.-सह-विकास आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा

अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल की सेवाएं भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को सचिव, भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली के पद पर नियुक्ति के लिए सौंपी जाती हैं।

क्र. ई-1-444-2015-5-एक (ए).—श्री दीपक खण्डेकर, भाप्रसे (1985) प्रमुख सचिव, वन विभाग तथा योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं विकअ-सह-सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग

(अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(2) श्रीमती अलका उपाध्यक्ष, भाप्रसे (1990), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल को अपने कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, विकास आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-1-27-2016-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे के आवंटन वर्ष 2012 के अधिकारियों को दिनांक 1 जनवरी 2016 से भाप्रसे का वरिष्ठ समय वेतनमान (रुपये 15600—39100—ग्रेड पे 6600) स्वीकृत किया जाता है तथा उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री नीरज कुमार सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, ग्वालियर (कनिष्ठ वेतनमान).	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर (विकास), ग्वालियर.	—
2	डॉ. पंकज जैन, अपर संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (कनिष्ठ वेतनमान).	अपर संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
3	श्री अजय कटेसरिया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, टीकमगढ़. (कनिष्ठ वेतनमान).	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर (विकास), टीकमगढ़.	—
4	सुश्री निधि निवेदिता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिंगरौली, (कनिष्ठ वेतनमान).	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर (विकास), सिंगरौली.	—
5	श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छतरपुर, (कनिष्ठ वेतनमान).	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर (विकास), छतरपुर.	—
6	श्री रोहित सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, डिण्डौरी, (कनिष्ठ वेतनमान).	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर (विकास), डिण्डौरी.	—

(1)	(2)	(3)	(4)
7	श्री स्वरोचिशा सोमवंशी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायसेन (कनिष्ठ वेतनमान).	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर (विकास), रायसेन.	—
8	श्री प्रवीण सिंह अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भिण्ड, (कनिष्ठ वेतनमान).	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर (विकास), भिण्ड.	—
9	श्री अनुराग वर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मुरैना, (कनिष्ठ वेतनमान).	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर (विकास), मुरैना.	—
10	सुश्री प्रतिभा पाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नरसिंहपुर (कनिष्ठ वेतनमान).	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर (विकास), नरसिंहपुर.	—
11	डॉ. फटिंग राहुल हरिदास, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, श्योरपुरकलां (कनिष्ठ वेतनमान).	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर (विकास), श्योरपुरकलां.	—
12	श्री राजीव रंजन मीणा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सागर (कनिष्ठ वेतनमान).	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर (विकास), सागर.	—
13	श्री बक्की कार्तिकेयन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बड़वानी (कनिष्ठ वेतनमान).	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर (विकास), बड़वानी.	—
14	श्री दीपक आर्य, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, विदिशा, (कनिष्ठ वेतनमान).	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर (विकास), विदिशा,	—
15	श्रीमती हर्षिका सिंह, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), बारासिवनी, जिला बालाघाट.	अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), वारासिवनी, जिला बालाघाट.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
16	श्री आशीष भार्गव, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), बैरसिया, जिला भोपाल.	अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), बैरसिया, जिला भोपाल.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अंटोनी डिसा, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2016

(iii) राज्य सरकार के कार्मिक विभाग सदस्य-सचिव में प्रधान सचिव या सचिव.

क्र. एफ-3-01-2016-1-4.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-प.ब.-एक तारीख 8 जून 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिअबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26)की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा यह घोषित करता है कि उक्त स्पष्टीकरण के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में विधान सभा उप चुनाव 2016 के सिलसिले में नीचे की अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उनके सामने अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट तारीख को उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिये सार्वजनिक अवकाश का दिन होगा.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 मई 2014 द्वारा गठित सिविल सेवा बोर्ड में राज्य शासन अब वरिष्ठतम अपर मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भाप्रसे (1984), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को सदस्य नामांकित करता है.

(3) उपरोक्तानुसार गठित सिविल सेवा बोर्ड के कार्यकरण एवं उसके द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया भारत सरकार की उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 28 जनवरी 2014 में विहित प्रावधानों के अनुरूप होगी.

(2) क्रमांक एफ-3-01-2016-1-4.—राज्य शासन, एतद्द्वारा यह भी घोषित करता है कि विधान सभा उप चुनाव 2016 के लिए मतदान के दिन दिनांक 13 फरवरी 2016 (शनिवार) को निम्नलिखित निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य अवकाश का भी दिन होगा:—

क्र. ई-1-166-2014-5-एक.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि. 69(अ) दिनांक 28 जनवरी, 2014 द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 7 में आवश्यक संशोधन करते हुए भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की नियुक्तियों के संबंध में सिफारिश करने के लिये निम्नानुसार सिविल सेवा बोर्ड के गठन हेतु प्रावधानित किया गया है:—

अनुसूची

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक एवं नाम (1)	मतदान की तारीख (2)
जिला सतना के 65-मैहर	13 फरवरी 2016 (शनिवार).

(i) मुख्य सचिव अध्यक्ष
(ii) वरिष्ठतम अपर मुख्य सचिव सदस्य
अथवा अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड या वित्त आयुक्त या समकक्ष पद या स्तर का कोई अधिकारी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनंद कुमार शर्मा, अपर सचिव.

(iii) राज्य सरकार के कार्मिक विभाग सदस्य-सचिव में प्रमुख सचिव या सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2016

(iv) प्रधान सचिव या सचिव वन सचिव

क्र. ई-1-34-2014-5-एक.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि. 67(अ) दिनांक 28 जनवरी, 2014 द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 7 में आवश्यक संशोधन करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्तियों के संबंध में सिफारिश करने के लिये निम्नानुसार सिविल सेवा बोर्ड के गठन हेतु प्रावधानित किया गया है:—

(v) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक सदस्य

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 मई 2014 द्वारा गठित सिविल सेवा बोर्ड में अब वरिष्ठतम अपर मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भाप्रसे (1984), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को सदस्य नामांकित करता है.

(3) उपरोक्तानुसार गठित सिविल सेवा बोर्ड के कार्यकरण एवं उसके द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया भारत सरकार की उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 28 जनवरी 2014 में विहित प्रावधानों के अनुरूप होगी.

(i) मुख्य सचिव अध्यक्ष

(ii) वरिष्ठतम अपर मुख्य सचिव सदस्य
अथवा अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड या वित्त आयुक्त या समकक्ष पद या स्तर का कोई अधिकारी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुभा श्रीवास्तव, उपसचिव "कार्मिक".

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2016

क्र. ई-5-670-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती अलका उपाध्याय, आयएस, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 5 दिसम्बर 2015 द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर 2015 से 15 जनवरी 2016 तक इक्कीस दिन का चाईलड केयर लीव स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 28 दिसम्बर 2015 से 12 जनवरी 2016 तक सोलह दिन का चाईलड केयर लीव कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 5 दिसम्बर 2015 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव "कार्मिक".

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2016

क्र. एफ. 1(ए) 29-13-ब-2-दो.—श्री रियाज इकबाल, भापुसे, सेनानी, 2री वाहिनी, विसबल, ग्वालियर को पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा स्वीकृत दिनांक 14 से 28 जनवरी 2016 तक पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 प्रथम पार्ट

वर्ष 2014-15 के विस्तार वर्ष 2016 में गृह नगर की अवकाश यात्रा सुविधा तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गृह नगर कोल्लम (केरला) की अवकाश यात्रा प्रदान की जाती है:—

क्रमांक	परिवार के सदस्यों के नाम	संबंध
1.	श्री रियाज इकबाल	स्वयं
2.	श्रीमती दिव्या मोहन	पत्नी
3.	कु. दिया डी रियाज	पुत्री

क्र. एफ. 1(ए) 400-88-ब-2-दो.—श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भा.पु.से., अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस सुधार, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 1 से 8 जनवरी तक आठ दिवस अर्जित अवकाश उपभोग करने के पश्चात् कार्योंत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(3) अवकाश काल में श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता कि यदि श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भा.पु.से. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमला उपाध्याय, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2016

फा. क्र. 17(ई)-43-2009-3866-इक्कीस-ब(एक)-15.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17(ई)-43-2009-2251-इक्कीस-ब(एक)-13, दिनांक 10 मई 2013 में निम्नलिखित संशोधन करता है:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 3 एवं 11 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनु- क्रमांक	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थान	सारणी सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“3	कु. ज्योति राजपूत, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2.	अनूपपुर	अनूपपुर	अनूपपुर	अनूपपुर
11	श्री मोहम्मद अरशद, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश.	भिण्ड	भिण्ड	भिण्ड	भिण्ड”

F. No. 17(E) 43-2009-3866-XXI-B(1)/15.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in consultation with the High Court of Madhya

Pradesh, hereby, makes the following amendments in this department's Notification F. No. 17(E) 43-2009-2251-XXI-B(1)/13, dated 10th May, 2013, Namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial number 3 and 11 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Head-quarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“3	Ku. Jyoti Rajput, Civil Judge Class-II,	Anuppur	Anuppur	Anuppur	Anuppur
11	Shri Mohd. Arshad IInd Addl. Judge to 1st Civil Judge Class-I,	Bhind	Bhind	Bhind	Bhind

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2016

फा. क्र. 3(बी)02-2014-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 41), राज्य शासन, श्री मंजुल सिंह पिता श्री कमल सिंह राठौर को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40460—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला कानपुर (देहात) उत्तरप्रदेश है। उसकी जन्मतिथि 12 नवम्बर 1983 है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2016

फा. क्र. 17(ई)296-इक्कीस-ब(दो)15.—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश फा. क्र. 17(ई)31-2010-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 26 मई 2010 द्वारा श्री माधवसिंह बड़ाल, नोटरी तहसील तराना जिला उज्जैन मध्यप्रदेश का दिनांक 23 जनवरी 2015 के पश्चात् जांच रिपोर्ट के आधार पर सक्षम अधिकारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन द्वारा नोटरी नवीनीकरण की अनुशंसा नहीं किये जाने के कारणों से समहत होते हुए, राज्य शासन, नोटरी अधिनियम, 1952 के नियम 13(12)(ख) के प्रावधानों के अन्तर्गत नोटरी लायसेंस का नवीनीकरण न करते हुए नोटरी अधिनियम की

धारा 10 के अन्तर्गत नोटरी रजिस्टर से श्री माधवसिंह बड़ाल का नाम विलोपित करता है तथा उन्हें नोटरी व्यवसाय करने से वर्जित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. वैद्य, सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2016

क्र. एफ-28-41-2004-ए-सोलह.—राज्य शासन एतद्वारा श्री सुल्तान सिंह शेखावत, नागदा, उज्जैन को आगामी दो वर्ष के लिये मध्यप्रदेश ग्रामीण/शहरी असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल का अध्यक्ष नियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मिलिन्द गणवीर, अवर सचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2016

क्र. एफ-11-1-2016-बी-ग्यारह.—उद्योग संवर्धन नीति, 2010 एवं कार्ययोजना की कंडिका क्रमांक 14.4 के संदर्भ में विभागीय आदेश क्रमांक एफ 20-1-2010-बी-ग्यारह, भोपाल दिनांक 4 जनवरी 2011 से जारी मार्गदर्शी बिन्दु एवं मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक

भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 की कंडिका क्रमांक 4(2) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार निम्नलिखित क्षेत्र को नवीन औद्योगिक क्षेत्र एतद्वारा अधिसूचना किया जाता है:—

औद्योगिक क्षेत्र का नाम	जिला	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
औद्योगिक क्षेत्र सीतापुर (प्रथम चरण) मुरैना.	मुरैना	54.46

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2016

क्र. 122-2016-बी-ग्यारह.—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1930 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. जिला गुना स्थित वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी-4268 के स्टीमिंग लायसेंस के प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि में दिनांक 2 अप्रैल 2016 से 30 सितम्बर 2016 तक छः माह की वृद्धि बढ़ाये जाने को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से निम्नानुसार छूट प्रदान करता है:—

- संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा-18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश, इन्दौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
- उपर्युक्त अधिनियम की धारा-02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
- संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

- नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
- मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम-6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
- यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

आदेश दिया जाता है कि इसे मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल भारतीय, उपसचिव.

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2016

क्र. एफ 6-1-2016-अठान-संशोधित.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 20 जनवरी 2016 द्वारा श्री रामकिशन चौहान, रायसेन को मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित के अध्यक्ष पद पर आगामी दो वर्ष के लिये नियुक्त करते हुए केबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा प्रदान किया गया था.

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के मेमोरेण्डम तथा आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन, 1996 के आर्टिकल 74(ए), 76 तथा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए श्री रामकिशन चौहान, रायसेन को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी दो वर्ष के लिए मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मगदली खलखो, उपसचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2016

क्र. एफ-11-02-2016-तीस.—राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.

2. अतएव, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आर्क्योलॉजीकल साइट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.

3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा:—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षक में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	रीवा	सिरमोर	सिरमोर	योगिनी माता स्थल, ग्राम-सिरमोर.	खसरा नं. 98	16.187 हे.	शासकीय वन	विभाग नहीं म. प्र. शासन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश प्रसाद मिश्र, उपसचिव.

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2016

क्र. एफ-6-4-2008-चौवन-2.—राज्य शासन एतद्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के नवीन 15 सूत्रीय कार्यक्रम को क्रियान्वित करने हेतु आदेश क्रमांक एफ 6-4-2008-चौवन-2, दिनांक 29 मई 2013, 16 मार्च 2015 से जारी दिशा-निर्देशों की कण्डिका 5बी (1) के प्रावधान अनुसार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के स्थान पर निम्नलिखित सदस्यों की समिति को पुनर्गठित किया जाता है:—

1.	मुख्य सचिव, म. प्र. शासन	अध्यक्ष
2.	अल्पसंख्यक बाहुल्य संसदीय क्षेत्र के वर्तमान सांसद श्रीमति सुमित्रा महाजन, मान. सांसद-इन्दौर.	सदस्य
3.	श्री आलोक संजर मान, सांसद लोक सभा (भारत सरकार द्वारा नामांकित माननीय सदस्य)	सदस्य
4.	श्री कमलनाथ मान. सांसद लोकसभा (भारत सरकार द्वारा नामांकित माननीय सदस्य)	सदस्य
5.	डॉ. चंदन मित्रा मान. सांसद राज्य सभा (भारत सरकार द्वारा नामांकित माननीय सदस्य)	सदस्य
6.	अल्पसंख्यक बाहुल्य विधान सभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक, श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह, मान. विधायक-भोपाल.	सदस्य
7.	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग	सदस्य
8.	अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग	सदस्य
9.	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं विकास विभाग	सदस्य

10	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा सामाजिक न्याय विभाग.	सदस्य
11	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	सदस्य
12	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग	सदस्य
13	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
14	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	सदस्य
15	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग	सदस्य
16	आयुक्त पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मध्यप्रदेश	सदस्य
17	प्रबंध संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा वित्त एवं विकास निगम मध्यप्रदेश	सदस्य
18	पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि/(जि.पं. अध्यक्ष एवं जि.पं. सदस्य) (3 सदस्य)	
	1. श्रीमती रचना महेन्द्र (शेरू) अध्यक्ष, जिला पंचायत भोपाल	सदस्य
	2. श्रीमती उर्मिला मरेठा अध्यक्ष जिला पंचायत, सीहोर	सदस्य
	3. श्रीमती गायत्री देवी पाटीदार अध्यक्ष जिला पंचायत, बुरहानपुर	सदस्य
19	अशासकीय अल्पसंख्यक संस्थाओं के प्रतिनिधि (3 सदस्य)	
	1. श्री अजहर उलहक, अध्यक्ष, आंचल कल्याणकारी सेवा समिति मण्डल शाप नं. 1 खान काम्पलेक्स सनवारा रोड, बुरहानपुर,	सदस्य
	2. डॉ. अकील राज अध्यक्ष समर्पण केयर अवेयरनेस एवं रिहेबिलिटेशन सेन्टर 8 नारायण बाग इन्दौर (ब्रांच आफिस ए-32 अल्कापुरी रतलाम).	सदस्य
	3. श्री सलीम खान आत्मज जनाब अहमद नूर खान अध्यक्ष मानव विकास एवं कला प्रशिक्षण समिति 24 वार्ड नं. 9 कुरवाई जिला विदिशा मध्यप्रदेश.	सदस्य
20	अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधि (3 सदस्य)	
	1. श्री प्रतुल श्रीवास्तव, गुंजन कला सदन 473 टीचर्स कालोनी दीक्षितपुरा जबलपुर म. प्र.	सदस्य
	2. श्री विनय अग्रवाल पिता श्री पी. सी. अग्रवाल सदस्य ज्ञान लक्ष्मी वेलफेयर सोसायटी 77, कांतिनगर तानसेन रोड ग्वालियर म. प्र.	सदस्य
	3. श्रीमती गायत्री पाटीदार, पति श्री परमानंद पाटीदार अध्यक्ष, वृक्ष जन कल्याण समिति ग्राम सलैया पो. बाबडिया कला जिला भोपाल म. प्र.	सदस्य

परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2016

शुद्धिपत्र

क्र. एफ 22-13-2015-आठ.—शुद्धिपत्र मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 28 दिसम्बर 2015 में प्रकाशित किए गए मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 में नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में वर्णित उन शब्दों, अंकों, कोष्ठक तथा चिन्ह के स्थान पर जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) में वर्णित पृष्ठों तथा पंक्तियों में आए हैं, उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टियों में दिए गए शब्द, अंक, कोष्ठक तथा चिन्ह पढ़े जाएं:—

सारणी

अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द, अंक, कोष्ठक तथा चिन्ह (1)	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिनमें वे शब्द, अंक, कोष्ठक तथा चिन्ह आए हैं (2)	शुद्ध शब्द, अंक, कोष्ठक तथा चिन्ह जो पढ़े जाएं (3)
चालान अनुज्ञप्ति	1043 17	शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति एवं चालान अनुज्ञप्ति
उप नियम (1क)	1044 14	उप नियम (1क), खण्ड (चार)
applying first time for	1044 (1) 24	applying for learner's licence and
sub rule (1a) in	1044 (2) 5	sub rule (1a) clause (iv)
minimum 59x90 cm	1044 (2) 26	minimum 50x90 cm

अशोक कुमार भार्गव, अपर सचिव.

वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2016

क्र. 160-3860-2015-ई-चार.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक एफ 10-11-2015-1-9, दिनांक 27 मार्च 2015 तथा इस संबंध में आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश भोपाल के ज्ञाप क्रमांक 3088-01-वि.प.प्र.-ओ.एस.डी.-2015, दिनांक 14 मई 2015 के प्रकाश में संचालनालय कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश के वर्तमान में प्रचलित परीक्षा नियमों अर्थात् “संचालनालय कोष एवं लेखा विभागीय परीक्षा नियम 2014” (जो 30 जून 1996 से लागू है) को राज्य शासन एतद्वारा अधिक्रमित करते हुए तत्काल प्रभाव से नवीन व्यवस्थायें निम्नानुसार लागू करता है:—

1. मध्यप्रदेश वित्त सेवा (सीधी भर्ती), अधीनस्थ लेखा सेवा (सीधी भर्ती) तथा लेखा प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों के लिये अब एक साथ प्रतिवर्ष अक्टूबर/नवम्बर माह में विभागीय परीक्षा का आयोजन किया जावेगा. परीक्षा की तिथि तथा कार्यक्रम घोषित करने के अधिकार आयुक्त कोष एवं लेखा को होंगे वे जुलाई/अगस्त माह में परीक्षा कार्यक्रम घोषित करेंगे.

2. सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को इस परीक्षा में सम्मिलित होने के केवल 2 ही अवसर मिलेंगे. सीधी भर्ती के परीवीक्षाधीन अधिकारियों को इन 2 अवसरों में विभागीय परीक्षा न्यूनतम निर्धारित अंक से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा.
3. इस परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र 3 घंटे का अधिकतम 200 अंकों का होगा प्रश्न पत्र में 20-20 अंक के कुल 10 प्रश्न होंगे सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा.
4. परीक्षा हेतु एक प्रश्न पत्र में कोषालय संहिता, वित्तीय संहिता, वित्तीय अधिकारों की पुस्तिका, मूलभूत नियम, नियम, पेंशन नियम, बजट मैनुअल, ऑडिट मैनुअल तथा आई.एफ.एम.आई.एस. से संबंधित ही प्रश्न पूछे जायेंगे, प्रश्न आवश्यकतानुसार लघु स्तरीय/दीर्घ स्तरीय होंगे. इसके साथ-साथ सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रश्न भी पूछे जायेंगे.
5. विभिन्न अभ्यर्थियों के लिये 200 अंकों में से उत्तीर्ण होने के लिये न्यूनतम निर्धारित अंक निम्नानुसार प्राप्त करने होंगे—
 - (अ) मध्यप्रदेश वित्त सेवा अधिकारी—120 अंक (60 प्रतिशत)
 - (ब) मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी—100 अंक (50 प्रतिशत)
 - (स) लेखा प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी—80 अंक (40 प्रतिशत)
 (अनसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को नियमानुसार 10 प्रतिशत अंकों की छूट होगी).
6. परीक्षा के आयोजन के लिये आयुक्त, कोष एवं लेखा को यह अधिकार होगा, कि वह रु. 8700 या 8900 ग्रेड पे के तीन वित्त सेवा अधिकारियों का चयन करेंगे. सेटर्स प्रश्न पत्र की सेटिंग, उसकी स्वयं की सुरक्षा में आवश्यकतानुसार आवश्यक संख्या में कम्प्यूटर प्रिंटिंग का कार्य सेटर्स स्वयं करेंगे तथा सील बंद लिफाफे में परीक्षा के एक दिन पूर्व आयुक्त कोष एवं लेखा को गोपनीय तौर पर सौंपेंगे. आयुक्त कोष एवं लेखा कोई भी एक सेट को परीक्षा हेतु उपयोग में लेंगे इसके लिये एक उम्मीदवार हेतु रुपये 20/- प्रति उम्मीदवार की दर से मानदेय होगा. (उदाहरण-परीक्षा में 100 उम्मीदवार सम्मिलित होने की स्थिति में 120 नग में प्रश्न पत्र तैयार कराये जायेंगे तथा 120 नग की दर से ही मानदेय का भुगतान किया जायेगा).
7. उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी प्रश्न पत्र सेटिंग करने वाला अधिकारी ही करेगा. इसके लिये उसे 25 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका की दर से मानदेय दिया जायेगा.
8. परीक्षा आयोजन के लिये आयुक्त कोष एवं लेखा कम से कम 8700/- ग्रेड पे के एक अधिकारी को केन्द्राध्यक्ष नियुक्त करेंगे. संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा भोपाल उप केन्द्राध्यक्ष होंगे. केन्द्राध्यक्ष को रु. 1000/- तथा उपकेन्द्राध्यक्ष को रु. 750/- मानदेय देय होगा.
9. परीक्षा के प्रवेश पत्र परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि के 15 दिन पूर्व विभागीय वेबसाईड में उपलब्ध करा दिये जायेंगे परीक्षार्थी इन्हें डाउनलोड कर ही परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होंगे.
10. परीक्षा का आयोजन सिर्फ भोपाल में रविवार के दिन ही होगा. इसके लिये उपयुक्त स्थल का चुनाव आयुक्त, कोष एवं लेखा द्वारा मनोनीत तीन अधिकारियों द्वारा किया जायेगा. परीक्षा केन्द्र में पर्यवेक्षकों की व्यवस्था आयुक्त, कोष एवं लेखा द्वारा ही की जावेगी. पर्यवेक्षक 6600 ग्रेड पे या उससे अधिक के वित्त सेवा अधिकारी अथवा केन्द्र या राज्य शासन के अन्य विभाग के अधिकारी भी हो सकते हैं केन्द्र या राज्य शासन के अन्य अधिकारी होने की दशा में आयुक्त, कोष एवं लेखा गोपनीय तौर पर उनकी पूर्व सहमति प्राप्त करेंगे. पर्यवेक्षकों को रु. 500/- मानदेय का भुगतान किया जायेगा.
11. परीक्षा परिणाम घोषित करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त, कोष एवं लेखा के पास रहेगा. विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय का अधिकार आयुक्त, कोष एवं लेखा को रहेगा.

12. जो उम्मीदवार फेल हो जाते हैं वे परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिन के भीतर रुपये 5000/- का कोषालय चालान जमा कराकर पुर्नमूल्यांकन का आवेदन कर सकते हैं आयुक्त कोष एवं लेखा कम से कम 8700/- ग्रेड-पे का अधिक वेतनमान के 2 वित्त सेवा अधिकारी का संयुक्त दल बनाकर पुर्नमूल्यांकन के आदेश जारी करेंगे पुर्नमूल्यांकन आयुक्त, कोष एवं लेखा की निगरानी में उन्हीं के सम्मुख किया जावेगा.
13. उपरोक्त परीक्षा नियम में संशोधन के अधिकार माननीय मंत्रीजी के प्रशासकीय अनुमोदन के पश्चात् आयुक्त, कोष एवं लेखा को रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिरुद्ध मुकजी, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

(भू-अर्जन हेतु मध्यप्रदेश शासन की "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" अंतर्गत)

देवास, दिनांक 23 दिसम्बर 2015

क्र. 1783-भू-अर्जन-2015.—मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में आपसी सहमति से क्रय नीति के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित भूमि धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक (3 एवं 4) अनुसार भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु दतूनी नहर परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिए आवश्यक है:—

अनुसूची

- (5) ग्राम का नाम—गुडेबल
(6) तहसील—कन्नौद
(7) जिला—देवास
(8) कुल प्रस्ताव—01.

क्रमांक (1)	नाम एवं पता (2)	खसरा क्रमांक (3)	अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण (4)
1	श्री रामोतार पिता घासीराम, निवासी ग्राम गुडेबल, तहसील कन्नौद.	49/1	0.110 हे.

कुल सर्वे नंबर-01 कुल प्रस्ताव-01

उपरोक्त कृषकों की भूमि दतूनी नहर परियोजना के अन्तर्गत ग्राम गुडेबल की उपरोक्तानुसार भूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग मध्यप्रदेश के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, कार्यालय जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दासौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र. 87-री-1-भू-अर्जन-2016-प्र.क्र. 05-अ-82-2012-13

गरोठ, दिनांक 12 जनवरी 2016

चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची -1 के पद {1} में वर्णित भूमि की अनुसूची -2 के पद {2} में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भू-अर्जन पूर्णवासन ओर पूर्णव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन की आवश्यकता है।

अनुसूची :- 1

- (1) भूमि का वर्णन :- (क) जिला :- मन्दासौर
(ख) तहसील :- गरोठ
(ग) ग्राम :- चिकन्या
(घ) लगभग क्षेत्रफल :- 0.820 हेक्टर

अनुसूची :- 2

क्रं.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रस्तावित भूमि	
				सिंचित	असिंचित
1	2	3	4	5	6
1	श्यामसिंह पिता कालुसिंह सो. रा.	866	0.160	0.000	0.020
2	गबसिंह पिता माधोसिंह, भगतबाई पिता माधोसिंह, गुमानसिंह पिता हमेरसिंह, फुलबाई बेवा हमेरसिंह सो. रा.	829	0.470	0.050	0.000
3	गबसिंह पिता माधोसिंह, भगतबाई पिता माधोसिंह, गुमानसिंह पिता हमेरसिंह, फुलबाई बेवा हमेरसिंह सो. रा.	830	0.130	0.040	0.000
4	रेखाबाई पति गबसिंह सो. रा.	828	0.480	0.060	0.000
5	पप्पुसिंह पिता गोपालसिंह सो. रा.	826	0.540	0.150	0.000
6	गोपालसिंह पिता नवलसिंह सो. रा.	824	1.940	0.110	0.000
7	लक्ष्मणसिंह पिता गोपालसिंह सो. रा.	823	1.920	0.160	0.000
8	गोपालसिंह पिता उदेसिंह सो. रा.	822	0.700	0.020	0.000
9	मदनसिंह पिता दुलेसिंह सो. रा.	1360	1.200	0.130	0.000
10	कालुसिंह पिता किशनसिंह सो. रा. व रामगोपाल पिता मांगीलाल महाजन	1362	1.250	0.000	0.060
11	भोनीबाई बेवा चम्पा भेरुलाल मांगीलाल पित चम्पा चमार	1365	1.50	0.020	0.000
	योग	11	10.29	0.740	0.080

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पावटी चिकन्या से राजस्थान सीमा तक पहुंच मार्ग योजना.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के न्यायालय में किया जा सकता है.

मन्दसौर, दिनांक 12 जनवरी 2016

क्र. 85-भू-अर्जन-2016-प्र.क्र. 03-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची-1 के पद (1) वर्णित भूमि की, अनुसूची-2 के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन की आवश्यकता है:—

अनुसूची - 1

- (1) भूमि का वर्णन :- (क) जिला - मन्दसौर
(ख) तहसील - गरोट
(ग) ग्राम - देथलीबुजुर्ग, पिपल्याराजा, पनवाड़ी, साठखेडा
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 5.230

अनुसूची - 2

देथलीबुजुर्ग से पनवाड़ी पहुंच मार्ग

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि	
				सिंचित	असिंचित
1	2	3	4	5	6
ग्राम देथलीबुजुर्ग					
1	रोडा पिता भेरूलाल जटिया नि. ग्राम भुमि स्वामी	772	3.150	0.110	0.000
2	फकीरचंद पिता नानुराम रूकमण बाई बेवा नानुराम चव ईशवर बबलु ना.बा. पिता सत्यनारायण अ. पा. कर्ता मातारानी बाई बेवा सत्यनारायण जटिया नि. ग्राम. भुमि स्वामी	755	0.840	0.040	0.000
3	रामलाल पिता सेवा व विनोद दशरथ,पुरालाल ,ललिता बाई पुरीबाई पिता चुपालाल व सीता बाई बेवा चुपालाल जटिया सा.	754	1.330	0.060	0.900
4	राधेश्याम प्रभुलाल पिता नंदराम जटिया नि. ग्राम. भुमि स्वामी	753	0.970	0.050	0.000
5	हिरालाल पिता भवरलाल गायरी नि. ग्राम. भुमि स्वामी	752	0.280	0.050	0.000
6	प्रभुलाल पिता भवरलाल गायरी नि. ग्राम. भुमि स्वामी	750	0.560	0.040	0.000
7	भवरलाल बाबुलाल पिता नारायण व कस्तुरी बाई बेवा मांगीलाल चमार नि. ग्राम. भुमि स्वामी	744	0.090	0.000	0.090
8	गोविंदराम बालाराम पिता कालुराम व शीला बाई बेवा कालुराम व शांतिबाई सुमित्राबाई पिता हीरा व रूकमण बाई बेवा हीरा जाट नि. ग्राम. भुमि स्वामी	739	0.490	0.000	0.060
		815	1.050	0.120	0.000
		818	1.060	0.080	0.000
	योग	3		0.200	0.060
9	भेरूलाल पिता रामलाल कुलमी नि. ग्राम. भुमि स्वामी	738	0.560	0.000	0.130
10	बाबुलाल पिता काशीराम कुलमी नि.गारीयाखेडा भुमि स्वामी	730	1.160	0.000	0.070
11	बंसतीलाल कुलमी पिता किशनलाल कुलमी नि. ग्राम. भुमि स्वामी	729	1.180	0.000	0.070
		1053	0.900	0.000	0.050
	योग	2		0.000	0.120

12	रमेशचंद्र पिता उकारलाल गायरी नि. ग्राम. भुमि स्वामी	728	1.180	0.000	0.070
13	घनश्याम पिता भारतराम कुल्मी	723/2	1.100	0.000	0.100
14	रेवशंकर पिता भारतराम कुल्मी	723/1	1.110	0.000	0.100
15	मांगीलाल नारायण केशुरात पिता सोजी व धापुबाई बेवा सोजी बंजारा सा.देह भुमि स्वामी	722	2.360	0.000	0.130
16	बंशीलाल पिता परथी बंजारा नि. ग्राम. भुमि स्वामी	1133	1.470	0.000	0.070
		1151	0.820	0.000	0.060
	योग	2		0.000	0.130
17	बद्रीलाल बसंतीलाल बापुलाल पिता किशन लाल व राम गोपाल पिता कालुराम कलावती बाई बेवा कालुराम कुलमी नि. ग्राम. भुमि स्वामी	1145	1.720	0.000	0.290
		1149	1.400	0.000	0.050
	योग	3		0.000	0.420
18	जिला सहकारी भूमि विकास बैंक गारु गरोठ	1137	0.940	0.000	0.110
19	रमेशचंद्र पिता पुरालाल कुलमी नि. ग्राम. डलमु मगरा भुमि स्वामी	819	3.170	0.040	0.000
20	गौता बाई पिता शिवनारायण माली नि. ग्राम. भुमि स्वामी	820	0.970	0.090	0.000
21	कालुराम पिता भेरूलाल कुलमी नि. ग्राम. भुमि स्वामी	821	0.310	0.150	0.000
22	अम्बा कुमारी पति इन्द्रमल कुलमी नि. ग्राम. भुमि स्वामी	895	2.710	0.150	0.000
23	परथी पिता हेमा बंजारा नि. ग्राम. भुमि स्वामी	1047	0.620	0.000	0.020
24	बालु बाबु पिता भगा व तुलसी बाई बेवा भग्गा बंजारा नि. ग्राम. भुमि स्वामी	1051	0.570	0.040	0.000
25	बसंतीलाल बापुलाल पिता किशनलाल व रामगोपाल पिता कालु राम व कलाबाई बेवा कालुराम कुल्मी नि. ग्राम. भुमि स्वामी	1054	2.290	0.110	0.000
26	मांगीलाल पिता परथी बंजारा नि. ग्राम. भुमि स्वामी	1134	1.470	0.000	0.350
27	केशुराम हजारी नारायण किशन पिता लक्खी व बरदीबाई बेवा लक्खा बंजारा नि. ग्राम. भुमि स्वामी	1135	1.120	0.000	0.080
28	मानसिंह बंशीलाल रमेश पिता उँकार व धापुबाई बेवा उँकार गायरी नि. ग्राम. भुमि स्वामी	816	0.920	0.030	0.000
29	कन्हैयालाल पिता मांगीलाल गुर्जर सा. देह भुमि स्वामी	745	0.670	0.060	0.000
30	हीरालाल पिता भँवर बाई गुर्जर सा. देह भुमि स्वामी	745	0.680	0.060	0.000
योग				1.280	1.880
ग्राम पिपल्याराजा					
1	फतेराम पिता बालु जाति मीणा नि. ग्राम. भुमि स्वामी	232	0.650	0.020	0.000
		259	0.690	0.050	0.000
	योग	3		0.070	0.010
2	राधेश्याम राम चंद्र गोपाल पिता कारु व नारायणी बाई बेवा कारु प्रभु भागीरथ हरदार बाई पिता भुवानी नानी बाई बेवा भुवानी जाति मीणा नि. ग्राम. भुमि स्वामी	230	0.170	0.000	0.010
		269	0.520	0.040	0.000
योग	2		0.040	0.010	
3	हरिसिंह पन्नालाल पिता कारुलाल जाति रावत नि. ग्राम. भुमि स्वामी	229	0.410	0.010	0.000
4	रामनारायण पिता भवरलाल मीणा नि. ग्राम. भुमि स्वामी	215	0.650	0.010	0.000

5	कालु पिता हीरालाल मीणा नि. ग्राम. भुमि स्वामी	214	0.640	0.010	0.000
6	बगदीराम हरीसिंह पन्ना लाल नाथुलाल पिता कालु मीणा नि. ग्राम.	207	0.740	0.000	0.020
7	उकारलाल पिता नारायण चमार नि. ग्राम. भुमि स्वामी	274 / 1	0.140	0.000	0.020
8	किशनलाल पिता नारायण चमार नि. ग्राम. भुमि स्वामी	274 / 2	0.150	0.000	0.020
9	कालुराम पिता नवल जाती मीणा नि. ग्राम. भुमि स्वामी	273	0.020	0.000	0.020
10	मोहन लाल पिता रानारायण मीणा नि. ग्राम. भुमि स्वामी	270	0.380	0.000	0.010
11	जग्नाथ पिता अमरा चमार नि. ग्राम. भुमि स्वामी	264 / 1	0.550	0.020	0.000
12	रामलाल पिता अमरा चमार नि. ग्राम. भुमि स्वामी	264 / 2	0.540	0.020	0.000
13	बापुलाल पिता रामनारायण मीणा नि. ग्राम. भुमि स्वामी	262	0.200	0.000	0.010
14	शंकर पिता अमरा चमार नि. ग्राम. भुमि स्वामी	264 / 3	0.550	0.020	0.000
15	नानुराम पुरालाल पिता कवर लाल प्रारवती बाई बेवा कवरलाल शंकर लाल पिता मोखा मीणा नि. ग्राम. भुमि स्वामी	265	2.000	0.040	0.010
योग				0.240	0.130

ग्राम पनवाड़ी

1	कवरलाल पिता भवर लाल मीणा	1014	0.200	0.000	0.020
2	शिवनारायण पिता वरदीलाल मीणा	757/1129	0.010	0.000	0.010
3	मोहनलाल मदन पिता माधु मीणा	1015	0.090	0.000	0.020
4	रतनलाल पिता मगन मीणा	1016/1	0.030	0.000	0.010
		1023/2	0.400	0.000	0.020
		योग	2		0.000
5	सत्यनारायण पिता मगन मीणा	1016/2	0.030	0.000	0.010
		757	0.010	0.000	0.010
		1023/1	0.200	0.000	0.010
योग		3		0.000	0.030
6	शिवनारायण लक्ष्मीनारायण पिता सीता राम मीणा	765	0.040	0.000	0.010
7	राधेश्याम पिता नानालाल मीणा	764	0.020	0.000	0.010
8	घनश्याम पिता देवीलाल लोहार	763	0.030	0.000	0.010
9	श्याम सुंदर पिता बंशीलाल शर्मा	1017	0.010	0.000	0.010
10	मथुरा लाल पिता देवीलाल लोहार	1020	0.010	0.000	0.010
11	उदयराम मथुरालाल शंकर लाल राधेश्याम पिता देव जी लोहार	756	0.040	0.000	0.010
12	रामेश्वर जुवार सिंह पिता पुरालाल मीणा	1021	0.010	0.000	0.010
13	भगीरथ पिता भेंवर लाल मीणा	1022	0.010	0.000	0.010
14	बालु दिनेश पिता भगवान तैली	755/1131	0.010	0.000	0.010
15	कालुराम पिता देवीलाल नई	755	0.010	0.000	0.010
16	केशुराम पिता रामलाल मीणा	754 च.	0.010	0.000	0.010
17	प्रभुलाल पिता मगन मीणा	753	0.020	0.000	0.010
18	रतन लाल राधुलाल शोभाराम रामेश्वर पिता तैली	734/2	0.200	0.000	0.020
19	शिवनारायण पिता किशनलाल मीणा	734/4	0.450	0.020	0.000

20	अनुप कुमार पिता विरेन्द्र कुमार चौधरी	1028	0.470	0.000	0.050
		1031	0.250	0.000	0.020
	योग	2		0.000	0.070
21	देवीलाल पिता बापुलाल मीणा	1027	0.200	0.000	0.010
22	प्रभुलाल पिता हिरालाल मीणा	1029	0.360	0.030	0.000
23	शंभुलाल लाल पिता देवीलाल मीणा	1030	0.340	0.000	0.010
24	अमित कुमार पिता विरेन्द्र कुमार चौधरी	964	2.530	0.070	0.000
		721	0.700	0.050	0.000
	योग	2		0.120	0.000
25	मांगीलाल पिता मगन लाल मीणा	1036	1.780	0.040	0.000
26	तेजकुवर बाई बेवा विरेन्द्र कुमार चौधरी	719	1.660	0.020	0.030
		1035	0.310	0.000	0.030
	योग	2		0.020	0.060
27	प्रमिला बाई पति रमेशचन्द्र चौधरी	720	1.610	0.100	0.020
28	जगदीश पिता कालुराम मीणा	710	0.770	0.050	0.000
29	कालुराम पिता बाबुलाल मीणा	709	0.730	0.040	0.000
30	मागीरथ पिता भवैरलाल मीणा	1038	0.640	0.030	0.000
31	प्रभुलाल पिता रामनारायण मीणा	1039	0.370	0.020	0.000
32	रोशन सुभान अजिज खाजु शरीफ पिता रमजानी पिजारा सा. साठखेडा	1102	0.900	0.070	0.000
33	खाजु पिता अलाबख पिजारा सा. साठखेडा	1101	0.870	0.000	0.010
34	खाजु पिता सुभान पिजारा सा. साठखेडा	1099	0.920	0.050	0.000
		1092	0.130	0.070	0.000
	योग	2		0.120	0.000
35	महसुदन पिता श्यामलाल बेतापी साठखेडा	1097	0.560	0.020	0.000
36	मोहन लाल बदीलाल सचन्द्र राणेश्याम पिता फकीर चंद कृष्ण सा. साठखेडा	1096	0.600	0.040	0.000
		1093	0.270	0.030	0.000
	योग	2		0.070	0.000
महायोग			9.740	0.750	0.430
ग्राम साठखेडा					
1	चांद मोहम्मद पिता अजिमुल्ला रसुल गुलाम मोहम्मद निजामुद्दीन हबीब हमीर मुस्ताक एहमद पिता रहिममुला सुगरा बाई बेवा रहिममुला इदीबाई पिता रहिममुला सेहजाद पिता रहिममुला अ. पा. कर्ता मेरोज बेवा रहिममुला नि. ग्राम. भूमि स्वामी	75	0.405	0.000	0.070
2	हाजिनबी बेवा मांगु कालु मोहम्मद पिता उसमान ना.बा. अ.पा. कर्ता माता हाफिजान बेवा उसमान गुलाम मोहम्मद वाजगनी मो. अलादीन हासम इल्यास एहमद पिता पारबख मो. बापु पिता रोशन शायरा सुबेदा पिता रोशन गुलजार मेमरुदीन इकामउदीन कामरोउदीन मुस्ताक एहमद पिता वलीमो.	159	0.506	0.000	0.180
3	कालु रफिक मो. पिता शफी मोहम्मद अलानुर शकुर पिता करिम जाति पिजारा नि. ग्राम. भूमि स्वामी	78	0.138	0.000	0.010
4	राजेश्वर पिता नारायण गायरी नि. ग्राम. भूमि स्वामी	144/1	0.800	0.000	0.030
5	प्रभुलाल पिता नारायण गायरी	144/2	0.769	0.000	0.030
6	देवीलाल पिता उकारलाल धापुबाई बेवा उकारलाल गायरी नि. ग्राम. भूमि स्वामी	144/3	0.250	0.030	0.000
7	एहमदनुर पिता मो. राजु हाफिज पिता नबीनुर करीम बाई बेवा मो. व एहसान मजिद पिता खाजु व खातुन बाई बेवा खाजु पिजारा नि. ग्राम. भूमि स्वामी	97	0.849	0.000	0.060
		98 चं.	0.136	0.000	0.010
	योग	2		0.000	0.070
महायोग			2.868	0.030	0.390

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—देथलीबुजुर्ग से पनवाड़ी पहुंच मार्ग.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 89-री-1-भू-अर्जन-16-प्र. क्र. 08-अ-82-13-14

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची-1 के पद (1) वर्णित भूमि की अनुसूची -2 के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह धोषित किया जाता है की निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन की आवश्यकता है।

अनुसूची - 1

- (1) भूमि का वर्णन :- (क) जिला - मन्दसौर
(ख) तहसील - शामगढ़
(ग) ग्राम -- छाजन, सेमलीहाड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.750 है.

अनुसूची -2

छाजन से माकड़ी चामुण्डा पहुंच मार्ग

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि	
				सिंचित	असिंचित
1	2	3	4	5	6
ग्राम छाजन					
1	मानसिंह पिता बापुलाल सो. रा.	305	0.580	0.050	0.000
2	मंजू पति सचिन अरोरा निवासी इंदौर	304/1	0.680	0.060	0.000
3	सचिन कुमार पिता भारत भुषण मंजू पति सचिन कुमार अरौंग इंदौर	304/2	0.900	0.070	0.000
4	मांगीलाल पिता गोपाल बलाई	601/1	0.470	0.120	0.000
5	परथीसिंह राधुसिंह बापुसिंह मोतीसिंह पिता भगवानसिंह सो. रा.	603	1.400	0.180	0.000
	योग		4.030	0.480	0.000
ग्राम सेमलीहाड़ा					
1	देवीसिंह पिता भेरुसिंह सो. रा.	52	0.550	0.000	0.040
2	डूगरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह केशरसिंह पिता इन्दरसिंह	152	0.200	0.000	0.040
3	वर्जेसिंह पिता गुमानसिंह सो. रा.	63	0.320	0.000	0.090
4	श्रवणसिंह पिता रतनसिंह सो. रा.	64/1	0.130	0.040	0.000
5	उमरावसिंह देवीसिंह श्रवणसिंह तेजसिंह पिता रतनसिंह सो. रा.	64/2	0.370	0.060	0.000
	योग		1.570	0.100	0.170

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—छाजन से माकड़ी चामुण्डा पहुंच मार्ग.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 93-13-16-प्र. क्र. 6-अ-82-12-13

(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थान के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन 2013)

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में बोलिया से परासली मार्ग योजना तहसील शामगढ़ जिला मन्दसौर की ग्राम पालखंदा, सुरजनानया, सुराखेडी, विशन्या, खेजडिया, नारियाखुर्द, कोटडीअक्खा, परासली दिवान एवं तहसील गरोठ की ग्राम बोलिया, फरन्याखेडी की सड़क निर्माण के लिये आवश्यकता है वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है।

अतः भूमि-अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

तहसील शामगढ़ ग्राम पालखंदा, सुरजनानया, सुराखेडी, विशन्या, खेजडिया, नारियाखुर्द, कोटडीअक्खा, परासली दिवान एवं तहसील गरोठ की ग्राम बोलिया, फरन्याखेडी

सं. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
1	ग्राम पालखंदा	1.350	0.330	1.680
2	ग्राम सुरजनानया	0.840	0.300	1.140
3	ग्राम सुराखेडी	1.080	0.800	1.880
4	ग्राम विशन्या	0.440	0.220	0.660
5	ग्राम खेजडिया	0.170	0.140	0.310
6	ग्राम नारियाखुर्द	0.340	0.000	0.340
7	ग्राम कोटडीअक्खा	0.380	0.270	0.650
8	ग्राम परासलीदिवान	0.240	0.180	0.420
9	बोलिया	0.001	0.113	0.114
10	फरन्याखेडी	0.120	0.106	0.226
	योग	4.961	2.459	7.420

अनुसूची (2)

. बोलिया से परासली मार्ग योजना में आने वाली निजी भूमि का विवरण

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
1	(2)	3	4	5	6	7
ग्राम पालखंदा						
1	राघुसिंह पिता कालु सिंह सौ.रा.निवासी पालखंदा ग्राम भुमि स्वामि	279	0.500	0.030	0.000	0.030
2	समद बाई बेवा नैन सिंह सौ.रा.निवासी पालखंदा ग्राम भुमि स्वामि	280	0.650	0.050	0.000	0.050
3	इंदर सिंह पिता रामसिंह व भुली बाई बेवा राम सिंह सौ.रा.निवासी पालखंदा	283	0.600	0.050	0.000	0.050
		373	0.650	0.040	0.000	0.040
		374	0.750	0.040	0.000	0.040
		376	0.620	0.040	0.000	0.040
4	नैन सिंह पिता देवी सिंह सौ.रा.निवासी विशनिया ग्राम भुमि स्वामि	281	4.100	0.100	0.000	0.100
		251	0.260	0.030	0.000	0.030
		269	0.250	0.030	0.000	0.030
		252	0.550	0.030	0.000	0.030
5	उमराव सिंह पिता अंदर सिंह सौ.रा.निवासी विशनिया ग्राम भुमि स्वामि	284	0.800	0.100	0.000	0.100
6	बगदु कारु नारायण सजन उकार पिता उदा धुरी बाई बेवा उदा अमरा पिता पुरा बागरी सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	289	1.390	0.070	0.000	0.070
		301	0.300	0.050	0.000	0.050
		302	0.070	0.000	0.020	0.020
7	कान्हा पिता कालु बागरी निवासी ग्राम भुमि स्वामि	268	0.630	0.040	0.000	0.040
8	भगवान पिता अमरा बागरी निवासी ग्राम भुमि स्वामि	290	0.750	0.050	0.000	0.050
9	गांगा पिता अमरा बगदु पिता उदा बागरी निवासी ग्राम भुमि स्वामि	291	1.490	0.040	0.000	0.040
10	मांगीलाल पिता अमरा बगदु पिता उदा बागरी निवासी ग्राम भुमि स्वामि	250	0.290	0.030	0.000	0.030
11	बगदु कारु नारायण सजन उकार पिता उदा बागरी निवासी ग्राम भुमि स्वामि	303	0.080	0.010	0.000	0.010
12	बगत बाई पति दयाराम चमार निवासी ग्राम भुमि स्वामि	306	0.090	0.010		0.010
		329	0.470	0.000	0.030	0.030
13	रामा सजन रतन पिता घासीगंगा बाई बेवा धासी चमार निवासी ग्राम भुमि स्वामि	307	0.100	0.040	0.000	0.040
14	अंदर बाई बेवा काजी सौ. रा. नि. डुंगरखेडी तहसील शामगढ	245	0.100	0.000	0.020	0.020

15	हंफकान सिंह पिता भगवान सिंह निवासी ग्राम भुमि स्वामि	244	0.180	0.000	0.050	0.050
		143	0.800	0.000	0.100	0.100
16	कारी बाई पिता भगवान सिंह निवासी ग्राम भुमि स्वामि	243	0.070	0.000	0.030	0.030
17	मोतीलाल पिता कालु सिंह निवासी ग्राम भुमि स्वामि	242	0.110	0.000	0.030	0.030
18	रामारतन पिता घासी चमार निवासी ग्राम भुमि स्वामि	309	0.340	0.030	0.000	0.030
19	बगदी राम उकारलाल पिता उदा बागरी निवासी ग्राम भुमि स्वामि	325	0.230	0.020	0.000	0.020
		326	0.120	0.020	0.000	0.020
20	रतनलाल पिता घासी चमार निवासी ग्राम भुमि स्वामि	327	0.240	0.030	0.000	0.030
21	रामलाल पिता नाथुसिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	175	0.220	0.000	0.010	0.010
		173	0.950	0.000	0.040	0.040
22	गंगाराम पिता राम सिंह सौ.रा निवासी ग्राम भुमि स्वामि	334	0.600	0.020	0.000	0.020
		337	0.330	0.020	0.000	0.020
23	कालु सिंह सुल्तान सिंह रुघनाथ सिंह पुरसिंह पिता उदय सिंह निवासी ग्राम भुमि स्वामि	172	0.660	0.040	0.000	0.040
24	चंदर सिंह पिता बापुलाल सौ. रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	338	0.100	0.010	0.000	0.010
		341	0.310	0.030	0.000	0.030
25	कालुसिंह पिता उदय सिंह निवासी ग्राम भुमि स्वामि	171/2	0.220	0.010	0.000	0.010
26	सुल्तान सिंह पिता उदय सिंह निवासी ग्राम भुमि स्वामि	170	0.520	0.020	0.000	0.020
27	बापुलाल पिता भगवान सिंह निवासी ग्राम भुमि स्वामि	169	0.530	0.030	0.000	0.030
		368	0.410	0.010	0.000	0.010
		155	0.310	0.040	0.000	0.040
28	पुरा पिता रत्ता चमार निवासी ग्राम भुमि स्वामि	158	0.380	0.030	0.000	0.030
		156	0.070	0.020	0.000	0.020
		146	0.310	0.020	0.000	0.020
		145	0.320	0.020	0.000	0.020
29	दाणी सिंह पिता रुघनाथ सिंह निवासी ग्राम भुमि स्वामि	377	0.800	0.050	0.000	0.050
कुल योग				1.350	0.330	1.680
ग्राम सुरजनानया						
1	सोदानसिंह गुमानसिंह उमरावसिंह गोपालसिंह पिता पुरसिंह रतनबाई बेवा पुरसिंह अमरसिंह पिता देवी सिंह सौ.रा. निवासी सुरजना नया ग्राम भुमि स्वामि	245	1.530	0.280	0.000	0.280
2	सोदानसिंह गुमानसिंह उमरावसिंह गोपालसिंह पिता पुरसिंह रतन बाई बेवा पुरसिंह अमरसिंह पिता देवी सिंह सौ.रा. निवासी सुरजना नया ग्राम भुमि स्वामि	248	2.030	0.000	0.170	0.170
3	सुजानसिंह पिता पुरसिंह सौ.रा. निवासी सुरजना नया ग्राम भुमि स्वामि	250	1.900	0.320	0.000	0.320

4	नरवरसिंह रामसिंह पिता हिंदुसिंह सौ.रा. निवासी सुरजना नया ग्राम भूमि स्वामि	251	1.410	0.120	0.000	0.120
5	पर्वतसिंह पिता भुवानीसिंह सौ.रा. निवासी सुरजना नया ग्राम भूमि स्वामि	252	1.270	0.120	0.000	0.120
6	जनसबाई पिता तेजसिंह सौ.रा. निवासी सुरजना नया ग्राम भूमि स्वामि	276/1	0.050	0.000	0.010	0.010
7	कुशल बाई पिता तेजसिंह सौ.रा. निवासी सुरजना नया ग्राम भूमि स्वामि	276/2	0.040	0.000	0.010	0.010
8	कालुराम राधेश्याम पिता नाथुलाल व अमर लाल पिता दत्ता कुम्हार सौ.रा. निवासी सुरजना नया ग्राम भूमि स्वामि	277	0.090	0.000	0.020	0.020
9	नरवरसिंह राम सिंह पिता हिंदुसिंह सौ.रा. निवासी सुरजना नया ग्राम भूमि स्वामि	278	0.110	0.000	0.030	0.030
10	गुमानसिंह पिता पुरसिंह सौ.रा. निवासी सुरजना नया ग्राम भूमि स्वामि	279	0.030	0.000	0.030	0.030
11	पर्वतसिंह पिता भुवानीसिंह सौ.रा. निवासी सुरजना नया ग्राम भूमि स्वामि	280	0.040	0.000	0.010	0.010
12	भेरूसिंह बलवंत पिता रुघनाथ सौ.रा. निवासी सुरजना नया ग्राम भूमि स्वामि	288	0.090	0.000	0.020	0.020
कुल योग				0.840	0.300	1.140

ग्राम सुराखेडी

1	श्यामसिंह डुंगर सिंह पिता धुलसिंह गंगा बाई बेवा धुलसिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भूमि स्वामि	555	1.530	0.080	0.000	0.080
		609	0.580	0.060	0.000	0.060
		743	0.780	0.000	0.080	0.080
2	गंगाराम पिता भुरू सिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भूमि स्वामि	698	1.150	0.060	0.000	0.060
		620	0.100	0.000	0.010	0.010
		695	0.310	0.020	0.000	0.020
3	भवर सिंह पिता रामसिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भूमि स्वामि	556	0.380	0.030	0.000	0.030
4	श्याम सिंह धुलसिंह पिता पर्वत सिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भूमि स्वामि	619	1.720	0.080	0.000	0.080
		594	0.310	0.020	0.000	0.020
5	चैनसिंह पिता भेरूसिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भूमि स्वामि	608	0.430	0.040	0	0.040
		558	0.940	0.010	0	0.010
		605	0.920	0.000	0.010	0.010
		782	0.030	0.000	0.020	0.020
		600	0.340	0.080	0	0.080
		599	0.690	0.000	0.100	0.100
6	सरतान सिंह पिता उदय सिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भूमि स्वामि	560	1.140	0.000	0.080	0.080
7	राघुसिंह पिता चुदन जी सौ.रा.निवासी ग्राम भूमि स्वामि	607	0.440	0.040	0.000	0.040
		569	2.010	0.100	0.000	0.100
		726	1.070	0.100	0.000	0.100
		785	0.070	0.000	0.020	0.020

8	भन्ववान सिंह पिता भुपानी सिंह गंगा बाई बेवा भुवानी सिंह सौ.रा. निवासी ग्राम भुमि स्वामि	670	0.690	0.020	0.000	0.020
		789	0.020	0.000	0.010	0.010
9	गुमान सिंह पिता भुवानी सिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	571	0.690	0.020	0.000	0.020
10	तेज सिंह पिता भुवानी सिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	572	0.700	0.020	0.000	0.020
		596/1	0.370	0.020	0.000	0.020
11	दुलेसिंह पिता देवीसिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	596/2	0.500	0.020	0.000	0.020
12	चंदर सिंह दुलेसिंह पिता देवीलाल हेमत बाईबेवा देवीलाल मुन्ना बाई बेवा सरतानसिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	606	1.040	0.000	0.100	0.100
		777	0.040	0.000	0.020	0.020
		793	0.080	0.000	0.030	0.030
13	दुलेसिंह पिता भेरूसिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	590	0.120	0.010	0.000	0.010
14	सरदार सिंह पिता उदय सिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	587	0.160	0.010	0.000	0.010
15	गुमान सिंह पिता भेरूसिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	588	0.160	0.020	0.000	0.020
		589	0.120	0.020	0.000	0.020
16	सिधुसिंह विक्रमसिंह मदन सिंह पिता उकार सिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	601	0.350	0.030	0.000	0.030
17	चंदरसिंह पिता देवीलाल सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	602	0.480	0.040	0.000	0.040
		725	0.270	0.030	0.000	0.030
18	पुरसिंह पिता भेरूसिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	574	0.140	0.000	0.020	0.020
19	उमरावसिंह पिता भेरूसिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	473	0.140	0.000	0.010	0.010
20	शक्कुबाई बेवा भेरूसिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	462	0.440		0.040	0.040
		749	0.050	0.000	0.010	0.010
21	रामसिंह चैनसिंह.महरबान सिंह पिता नाथुसिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	460	0.100	0.000	0.010	0.010
		457	0.060	0.000	0.020	0.020
22	उकार सिंह पिता भेरूसिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	458	0.110	0.000	0.020	0.020
23	कालुसिंह पिता हिंदसिंह सौदान सिंह पिता करण सिंह श्याम सिंह पिता करण सिंह अ.पा. कर्ता माता सुरज बाई व सुरज बाई बेवा करण सिंह गुमान सिंह पिता जोरावर सिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	750	0.060	0.000	0.010	0.010
24	नैन सिंह पिता दुलेसिंह सज्जनसिंह पिता चंदर सिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	747	0.330	0.000	0.040	0.040
25	नैन सिंह पिता दुलेसिंह धाना बाई पति पति दुले सिंह	724	0.280	0.030	0.000	0.030
26	गबसिंह पिता किशनलाल सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	781	0.020	0.000	0.010	0.010
27	लाभुबाई पति गुमान सिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	790	0.010	0.000	0.010	0.010
28	गोपाल सिंह पिता धुलसिंह अनंत बाई बेवा धुलसिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	794	0.100	0.000	0.040	0.040
		745	0.160	0.000	0.030	0.030
		746	0.080	0.000	0.040	0.040

29	सरतान सिंह पिता उदय सिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	744	0.770	0.070	0.000	0.070
30	गुमान बाई पति सुल्तान सिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	746	0.060	0.000	0.010	0.010
कुल योग				1.080	0.800	1.880
ग्राम विशन्या						
1	उमराव सिंह पिता दाणी सिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	310	0.100	0.000	0.040	0.040
2	उमराव सिंह पिता दाणी सिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	311	0.700	0.000	0.030	0.030
3	छतर सिंह पिता दाणी सिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	312/1	1.150	0.000	0.010	0.010
4	दुलेसिंह फतेसिंह पिता पुर सिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	307	0.700	0.000	0.060	0.060
5	रामलाल उदय सिंह पिता पुरसिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	306	0.510	0.040	0.000	0.040
6	दाणीसिंह पिता किशनलाल सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	312/2	1.150	0.000	0.080	0.080
7	उंकारलाल पिता परथे सिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	303	0.350	0.030	0.000	0.030
8	देवास बाई पति रामसिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	302	0.350	0.030	0.000	0.030
9	श्यामसिंह शिवलाल पिता पुरसिंह व धापु बाई बेवा पुर सिंह सौ.रा. निवासी ग्राम	302	0.380	0.030	0.000	0.030
10	करण सिंह पिता चंदर सिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	313	0.450	0.040	0.000	0.040
11	करण सिंह पिता चंदर सिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	314	0.420	0.050	0.000	0.050
12	गोपाल सिंह पिता अमर सिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	299/2	0.290	0.070	0.000	0.070
13	सोदान सिंह पिता अमर सिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	299/1	0.880	0.040	0.000	0.040
14	उकार सिंह पिता रामसिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	315	0.320	0.040	0.000	0.040
15	चैनसिंह पिता दाणी सिंह सौ.रा.निवासी ग्राम भुमि स्वामि	316	0.890	0.070	0.000	0.070
कुल योग				0.440	0.220	0.660
ग्राम खेजडिया						
1	रतनसिंह पिता दुलेसिंह सौ. रा.निवासी खाईखेडा	245/1	0.810	0.000	0.060	0.060
		277	0.460	0.060	0.000	0.060
2	किशन लाल पिता मौतीलाल सौ. रा.निवासी खेजडिया	246	0.600	0.000	0.020	0.020
3	शिवलाल पिता निर्भय सिंह सौ. रा.निवासी खेजडिया	247	1.770	0.000	0.020	0.020
		249/1	0.810	0.000	0.020	0.020
		252	2.210	0.040	0.000	0.040
		257	1.760	0.020	0.000	0.020
4	राज कुर्वर बाई मुन्ना बाई पिता रतन सिंह सौ. रा.निवासी खेजडिया	249/2	0.800	0.000	0.020	0.020

5	कचरू सिंह मान सिंह पिता हरिसिंह सौ. रा.निवासी खेजडिया	253/1	0.360	0.010	0.000	0.010
6	किशनलाल पिता मोतीलाल शंकर सिंह विक्रम सिंह मदन सिंह पिता मानसिंह राजाबाई बेवा मानसिंह सौ. रा.निवासी खेजडिया	275	0.410	0.010	0.000	0.010
7	दाणीसिंह पिता दुले सिंह सौ. रा.निवासी खेजडिया	276	0.500	0.030	0.000	0.030
कुल योग				0.170	0.140	0.310
ग्राम नारियाखुर्द						
1	अमरसिंह पिता बसन्सिंह सौ. रा.	167	0.850	0.020	0.000	0.020
2	मेहरबान सिंह पिता मांगीलाल	164	0.560	0.010	0.000	0.010
3	कालुसिंह उमराव सिंह पिता जोरावरसिंह व वसन बाई बेवा जोरावर सिंह व कालीबाई बेवा पुरसिंह	160	0.570	0.010	0.000	0.010
4	राघुसिंह पिता हरिसिंह सौ.रा.	159	0.350	0.010	0.000	0.010
5	नारायण सिंह पिता भँवरसिंह सौ.रा.	169	1.050	0.020	0.000	0.020
		158	0.250	0.010	0.000	0.010
6	फँतेसिंह पिता लाल सिंह सौ. रा.	127	0.100	0.030	0.000	0.030
		149	0.240	0.030	0.000	0.030
7	भँवरसिंह पिता लाल सिंह सौ. रा.	232	0.290	0.010	0.000	0.010
		146	0.370	0.010	0.000	0.010
		128	0.100	0.010	0.000	0.010
		230	0.310	0.010	0.000	0.010
8	मांगीलाल पिता भुवानी सिंह	148	0.180	0.010	0.000	0.010
		235	0.640	0.010	0.000	0.010
9	दलेसिंह पिता हरिसिंह	127/2	0.100	0.010	0.000	0.010
10	मांगुबाई बेवा विजयसिंह	127/1	0.130	0.010	0.000	0.010
11	जोरावर सिंह पिता पुरसिंह	115	0.480	0.010	0.000	0.010
12	भुवानी सिंह पिता नैनसिंह पिता बापुलाल	176	0.830	0.010	0.000	0.010
		178	0.440	0.010	0.000	0.010
		236	0.860	0.010	0.000	0.010
13	धुरीबाई पति हरिसिंह	206	0.170	0.010	0.000	0.010
		207	0.080	0.010	0.000	0.010
14	दाणीसिंह पिता हरिसिंह	208	0.620	0.010	0.000	0.010
15	रुघनाथ सिंह पिता देवजी	231	0.430	0.010	0.000	0.010
16	मुन्नाबाई पति मान सिंह	239/4	0.190	0.010	0.000	0.010
		242	0.600	0.010	0.000	0.010

17	गोपालसिंह पिता उदय सिंह	240	0.250	0.010	0.000	0.010
		243	0.460	0.010	0.000	0.010
	कुल योग			0.340	0.000	0.340
ग्राम कोटडीआक्खा						
1	रामसिंह जोरावर सिंह सुल्तानसिंह पिता पुर सिंह सौ. रा. नि. नारिया खुर्द	283/1	1.000	0.030	0.020	0.050
2	भेरुसिंह पिता अमरसिंह सौ. रा. नि. कोटडी आक्खा	283/2	0.250	0.000	0.010	0.010
3	शामुबाई पति शिवसिंह सौ. रा. नि. खेरखेडी	283/3	0.250	0.000	0.010	0.010
4	अमर सिंह पिता मेहताबसिंह सौ. रा. नि. कोटडी आक्खा	277	3.530	0.040	0.010	0.050
5	सोदानसिंह रनजित सिंह पिता किशनलाल सौ. रा. नि. कोटडी आक्खा	298/2	0.220	0.020	0.000	0.020
		299	0.190	0.010	0.000	0.010
6	गंगाराम पिता पुरसिंह सौ. रा. नि. कोटडी आक्खा	301	0.550	0.020	0.010	0.030
7	नेपालसिंह पिता दुलेसिंह सौ. रा. नि. कोटडी आक्खा	346/1	0.080	0.030	0.000	0.030
8	प्रेमकुवर बाई पति तेजसिंह सौ. रा. नि. कोटडी आक्खा	346/2	0.280	0.040	0.000	0.040
9	फूलबाई बेवा हिंदुसिंह हरिसिंह पिता हिंदुसिंह सौ. रा. नि. कोटडी आक्खा	344	0.160	0.000	0.010	0.010
		350/1	0.490	0.020	0.010	0.030
10	बापुलाल पिता सरूप जी सौ. रा. नि. कोटडी आक्खा	345	0.170	0.000	0.010	0.010
11	भुवानीसिंह अर्जुनसिंह तेजसिंह पिता रूपसिंह सौ. रा. नि. कोटडी आक्खा	379	0.110	0.020	0.010	0.030
12	नारायण सिंह गोपालसिंह पिता मांगीलाल शंकर बाई बेवा मांगीलाल सौ. रा. नि. कोटडी आक्खा	381/2	0.560	0.040	0.020	0.060
13	मानसिंह पिता करणसिंह चतरबाई बेवा करणसिंह सौ. रा. नि. कोटडी आक्खा	407	0.640	0.010	0.010	0.020
		408	0.600	0.000	0.020	0.020
14	भरतबाई पति तुफानसिंह सौ. रा. नि. कोटडी आक्खा	375/1	0.100	0.010	0.000	0.010
		375/2	0.090	0.010	0.000	0.010
		375/3	0.090	0.010	0.000	0.010
15	कालुसिंह पिता स्वरूपसिंह सौ. रा. नि. कोटडी आक्खा	376	0.720	0.030	0.010	0.040
16	तुफानसिंह उमरावसिंह शम्भुसिंह नारायणसिंह पिता कालुसिंह सौ. रा. नि. कोटडी आक्खा	377	0.650	0.000	0.030	0.030
17	दुलेसिंह पिता शिवलाल सौ. रा. नि. कोटडी आक्खा	351	1.100	0.040	0.000	0.040
		378	0.490	0.000	0.030	0.030
18	पुरसिंह पिता भेरुसिंह सौ. रा. नि. कोटडी आक्खा	348	0.650	0.000	0.030	0.030
19	रामसिंह पिता पुरसिंह सौ. रा. नि. खेरखेडी	349	0.580	0.000	0.020	0.020
	कुल योग			0.380	0.270	0.650
ग्राम परासलीदिवान						
1	श्याम कुवर पति सुरेशसिंह राजपुत निवासी एरिया	8	1.950	0.000	0.040	0.040
2	अर्जुनसिंह करण सिंह पिता कालुसिंह रा.नि. परासली दीवान	9	1.910	0.030	0.020	0.050

3	सज्जनसिंह पिता पुरसिंह रा.नि. परासली दीवान	14	2.410	0.040	0.020	0.060
4	बन्नेसिंह पिता भवरसिंह रा.नि. परासली दीवान	16	2.000	0.010	0.010	0.020
		38	2.810	0.030	0.040	0.070
5	गजेन्द्रसिंह पिता महेंद्र सिंह रा.नि. परासली दीवान	37	3.190	0.100	0.040	0.140
6	कविता बाई पति नरेंद्र कुमार ओम कुमारी पति महेंद्रसिंह यादव नि.शामगढ	23	1.520	0.030	0.010	0.040
कुल योग				0.240	0.180	0.420
ग्राम बोलिया						
1	बद्रीलाल दिनेश मंगला बाई कृष्णा बाई पिता बालाराम शांति बाई बेवा बालाराम रंगारा नि.-बोलिया	302	0.004	0.000	0.001	0.001
2	मदनलाल पिता राधा किशन महाजन नि. बोलिया	294	0.109	0.000	0.003	0.003
3	सोहनलाल रमेशचंद्र दिनेश चंद्र पिता पुनमचंद्र भावसार नि. बोलिया	291	0.085	0.000	0.001	0.001
		293	0.097	0.000	0.097	0.097
		290	0.012	0.000	0.001	0.001
		280	0.146	0.001	0.000	0.001
4	कैलाश पिता नंदा कुम्हार नि. बोलिया	264/1	0.251	0.000	0.004	0.004
5	गोवर्धन रमेश पिता रामलाल कुम्हार नि. बोलिया	264/2	0.251	0.000	0.004	0.004
6	राजीबाई बेवा मन्नालाल जैन नि. बोलिया	265	0.223	0.000	0.002	0.002
कुल योग				0.001	0.113	0.114
ग्राम फरन्यखेडी						
1	गुड्डी बाई पति मदन सिंह	279/3	0.911	0.000	0.014	0.014
2	गुड्डी बाई पति मदन सिंह	279/2	0.911	0.000	0.012	0.012
3	भेरूसिंह पिता फतेसिंह	279/1	1.618	0.000	0.018	0.018
4	मांगीलाल मानसिंह पिता भेरूसिंह	254	0.012	0.000	0.012	0.012
5	नैनसिंह पिता भेंवर सिंह	255/1	0.012	0.000	0.001	0.001
6	रामसिंह पिता बापूलाल	244	0.061	0.000	0.002	0.002
7	भागु बाई बेवा कालुसिंह रामसिंह नारायण सिंह पिता कालुसिंह	257	0.077	0.000	0.001	0.001
8	राचन्द्र पिता पुर सिंह	256	0.061	0.000	0.002	0.002
9	मांगीलाल पिता ओंकारलाल	258	0.020	0.000	0.001	0.001
10	नरवर सिंह इंदरसिंह श्यामसिंह रामसिंह पिता राघुसिंह पुराबाई बेवा राघुसिंह	243	0.073	0.000	0.004	0.004
11	भवर सिंह प्यार जी	242	0.033	0.000	0.001	0.001
12	जतनबाई बेवा भगवान सिंहभेरूसिंह तेजसिंह रामसिंह सुजानसिंह मदनसिंह पिता भगवान सिंह	241	0.061	0.000	0.001	0.001
13	मांगीलाल पिता ओंकारलाल	258	0.020	0.000	0.001	0.001
14	शिवसिंह पिता ओंकारलाल	261	0.049	0.000	0.001	0.001
15	सुल्तान सिंह पिता भवरसिंह	262	0.025	0.000	0.001	0.001

16	नाथुसिंह पिता देवीसिंह	263	0.040	0.000	0.001	0.001
17	बापुलाल राघुसिंह पिता	265/1	0.039	0.000	0.001	0.001
18	गिरवरसिंह	267	0.020	0.000	0.001	0.001
19	चंदर सिंह पिता भेरुसिंह	268/0.085	0.085	0.000	0.002	0.002
20	शिवलाल पिता अन्दर सिंह	239/1	0.025	0.000	0.001	0.001
21	भवरसिंह पिता प्यार जी	268	0.085	0.000	0.001	0.001
22	शवलाल पिता इंदर सिंह	270	0.081	0.000	0.003	0.003
23	नरवरसिंह इंदर सिंह श्याम सिंह रामसिंह पिता राघुसिंह पुराबाई बेवा राघुसिंह	170	0.036	0.000	0.001	0.001
24	मांगीलाल गोपीसिंह पिता प्यार सिंह सम्पत बाई बेवा प्यार सिंह अर्जुन सिंह भेरबान सिंह पिता पुरसिंह भगवती बाई बेवा पुरसिंह	279/4	0.911	0.000	0.010	0.010
25	फतेसिंह प्रतापसिंह गोपाल सिंह पिता कालुसिंह सरतानबाई बेवा कालुसिंह	131/2	0.068	0.004	0.000	0.004
26	भेरुसिंह तेजसिंह पिता वजेसिंह	131/1	0.068	0.004	0.000	0.004
27	सुजानसिंह गोपाल सिंह बिशनसिंह पिता गोपाल सिंह	111	0.267	0.003	0.000	0.003
28	रामलाल पिता पुरसिंह	113	0.360	0.004	0.000	0.004
29	मांगीलाल पिता उकारसिंह	130/1	0.107	0.001	0.000	0.001
30	शिवसिंह पिता उकारलाल	130/2	0.132	0.001	0.000	0.001
31	इंदरसिंह पिता राघुसिंह	108	0.279	0.006	0.000	0.006
32	नरवरसिंह इंदरसिंह श्यामसिंह रामसिंह पिता राघुसिंह	107	0.279	0.006	0.000	0.006
33	श्यामसिंह पिता राघुसिंह	81/1	0.696	0.006	0.000	0.006
34	तेजसिंह पिता भगवान सिंह	82/2	0.819	0.010	0.000	0.010
35	सुल्तान सिंह पित भवरसिंह	59	1.364	0.001	0.000	0.001
36	बाबुलाल राघुसिंह पिता गिरवर सिंह	55	0.401	0.004	0.000	0.004
37	श्यामसिंह पिता राघुसिंह	69/2	0.250	0.006	0.000	0.006
38	इंदरसिंह पिता राघुसिंह	69/3	0.250	0.006	0.000	0.006
39	कालुसिंह पिता श्यामसिंह	54/6	0.625	0.004	0.000	0.004
40	श्यामसिंह पिता राघुसिंह	54/5	1.238	0.006	0.000	0.006
41	माधुसिंह इंदरसिंह श्यामसिंह रामसिंह पिता राघुसिंह पुराबाई बेवा राघुसिंह	67/3	0.337	0.008	0.000	0.008
42	उमरावसिंह पिता बापुलाल सरदार बाई बेवा बापुलाल रामकोशल बाई बेवा कालुसिंह	42/3	1.092	0.012	0.000	0.012
43	कैलाश पिता फतेसिंह सरदार बाई बेवा फतेसिंह	41	0.494	0.000	0.010	0.010

44	शम्भुसिंह श्यामसिंह पिता रामचंद्र	62	0.401	0.000	0.003	0.003
45	शम्भुसिंह श्यामसिंह पिता रामचंद्र	40	1.570	0.005	0.000	0.005
46	सुजानसिंह गोपाल सिंह किशनसिंह पिता जोरावर सिंह	15	1.813	0.006	0.000	0.006
47	इंदरसिंह पिता राघुसिंह	12/2	1.421	0.002	0.000	0.002
48	राघुसिंह/पिता गिरवर सिंह	13	0.275	0.003	0.000	0.003
49	गोरधनसिंह सुल्तानसिंह तुफान सिंह पप्पुसिंह श्याम सिंह पिता मांगीलाल सीता बाई बेवा मांगीलाल नानी बाई बेवा भुवानी सिंह	29	0.938	0.012	0.000	0.012
	कुल योग			0.120	0.106	0.226

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

प्रकरण क्रमांक 1291-अ-82-2015-2016

राजगढ़, दिनांक 11 फरवरी 2016

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पाड़लियाखेड़ी तालाब परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची :-

पाड़लियाखेड़ी तालाब के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम रसूलपुरा

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
1	नाथूलाल पिता मांगीलाल जाति बलाई निवासी ग्राम भू-स्वामी	551/2	0.367	0.195	0.000	0.195
		552	0.215	0.102	0.000	0.102
		2	0.582	0.297	0.000	0.297
	ग्राम रसूलपुरा का महायोग :-	2	0.582	0.297	0.000	0.297

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), राजगढ़, जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरुण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर, जबलपुर, मध्यप्रदेश

जबलपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2015

क्र. 11585 ए-स.अ.(का.)-2015.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. एम-3-2-1999-1-4 भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, शिव नारायण रूपला, कलेक्टर, जबलपुर, कैलेण्डर वर्ष 2016 में जबलपुर जिले के लिये निम्नलिखित तिथियों को पूरे दिवस के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:—

क्र.	त्यौहार का नाम	स्थानीय अवकाश की तारीख	दिन	रिमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	होली (धुरैड़ी का दूसरा दिन)	24 मार्च, 2016	गुरुवार	संपूर्ण जिला
2	दशहरा दुर्गा नवमी	10 अक्टूबर, 2016	सोमवार	संपूर्ण जिला
3	दीपावली (दीपावली का दूसरा दिन)	31 अक्टूबर, 2016	सोमवार	संपूर्ण जिला

शिव नारायण रूपला, कलेक्टर.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर, निर्वाचन क्षेत्र क्र. 178, छतरपुर, मध्यप्रदेश

छतरपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2015

क्र. 1119-आ.का.-मण्डी उप निर्वा.-2015.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति 178-छतरपुर, जिला छतरपुर के लिये निम्नानुसार कृषक सदस्य निर्वाचित घोषित किये गये हैं:—

क्रमांक	निर्वाचित सदस्य का नाम	पद जिसके लिये निर्वाचित हुए	निवास का पूरा पता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	दिनेश कुमार पटैरिया	कृषक सदस्य 05-धमौरा.	निवासी ग्राम-26 ढिलापुर (रामपुर), तहसील व जिला छतरपुर, म. प्र.

डी. पी. द्विवेदी, रिटर्निंग आफिसर एवं अनु. वि. अधि. (मण्डी).

कार्यालय, कलेक्टर, मण्डला, मध्यप्रदेश

मण्डला, दिनांक 22 दिसम्बर 2015

क्र. ए.एस.सी.-2015-1056.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ-3-2-1999-1-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर, मण्डला, वर्ष 2016 में मण्डला जिले के लिये निम्नांकित तिथियों को संपूर्ण दिवस के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:—

क्र.	दिनांक	दिन	स्थानीय अवकाश का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	24 मार्च 2016	गुरुवार	होली का दूसरा दिन (बसंतोत्सव)
2	10 अक्टूबर 2016	सोमवार	दशहरा (महानवमी)
3	31 अक्टूबर 2016	सोमवार	दीपावली का दूसरा दिन

उक्त अवकाश बैंकों, कोषालयों/उप कोषालयों के लिये लागू नहीं होंगे.

लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश

झाबुआ, दिनांक 4 जनवरी 2016

क्र. 94-व.लि.1-2016.—सामान्य पुस्तक के परिपत्र 02 के अनुक्रमांक 04 के नियम 08 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना एम-3-2-1999-1-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, डॉ. अरूणा गुप्ता, कलेक्टर, जिला झाबुआ वर्ष 2016 के लिये सम्पूर्ण जिला झाबुआ की सीमा क्षेत्र हेतु निम्नांकित तिथियों को निम्नानुसार तीन स्थानीय अवकाश घोषित करती हूँ:—

क्र.	जिला	पर्व अथवा त्यौहार	दिनांक	दिन	सम्पूर्ण विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	झाबुआ संपूर्ण जिला	गणेश चतुर्थी	5-9-2016	सोमवार	संपूर्ण जिला
		नवरात्र प्रारंभ (घट स्थापना).	1-10-2016	शनिवार	—''—
		दिपावली का दूसरा दिन (पड़वा).	31-10-2016	सोमवार	—''—

टीप : (1) यह स्थानीय अवकाश कोषालय/उप कोषालय तथा बैंकों के लिये प्रभावशील नहीं रहेगा.

(2) जिन शैक्षणिक संस्थाओं की इन दिनांकों में परीक्षाएं नियत हैं. इन पर भी यह अवकाश प्रभावशील नहीं रहेगा. परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यथावत् रहेंगी.

अरूणा गुप्ता, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 11 जनवरी 2016

क्र. 325-एस.सी.दो-2016.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक-4 एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्र. एम-3-2-1999-1-4, दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, तरूण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर, राजगढ़ एतद्वारा वर्ष 2016 में राजगढ़ जिले के लिये पूरे दिवस का निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:—

क्र.	दिनांक	दिन (वार)	त्यौहार का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	11 मार्च 2016	शुक्रवार	उर्स बाबा बदखशानी
2	28 मार्च 2016	सोमवार	रंगपंचमी
3	31 अक्टूबर 2016	सोमवार	दिपावली का दूसरा दिन, गोवर्धन पूजा

तरूण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर.

कार्यालय, जिला मजिस्ट्रेट, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश

टीकमगढ़, दिनांक 11 जनवरी 2016

क्र. 62-आरडीएम-2016.—मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-2(क)20-2014-वी-3-दो-दिनांक 18 मई 2015 अनुसार टीकमगढ़ में कोतवाली थाना से अपवर्जित करते हुए देहात थाना स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है अतः टीकमगढ़ में स्थापित नवीन देहात थाना के अन्तर्गत ग्राम बड़ागांवखुर्द, कारी नगर पंचायत, मवई, छीपौन, बनियानी, कारीपारी, प्रतापनगर, पहाड़ीखुर्द, सुनवाहा, तखा, अनंतपुरा, धजरई, टपरन, पनियाराखेरा, बड़ेराघाट, हजुरीनगर, शिवराजपुरा, श्रीनगर, सिद्धपुरा, बघियन, उत्तरीखिरिया, नारगुड़ा, गढ़ाघाट, नयाखेरा, गोपालपुरा, सिद्धपुरामजरा, लक्ष्मणपुरा, जनकपुर, बजरंगखेरा, मामौन, दुर्गापुर, उत्तमपुरा, अमरपुर, रामनगर, सेंवड़ा, हीरानगर, बाबरी कॉटी, शिवराजपुरा, आलमपुरा, उत्तरीकारी, मजराबारेलाल, कलेक्ट्रेट टपरिसर, न्यायालय परिसर, भगतनगर कालोनी, जज कालोनी, होमगार्ड कार्यालय मामौन पहाड़ी, मोहनपुरा, लखौरा, हरपुरा उत्तरी, बौरी, बडोराघाट, नयाखेरा, मजराविन्द्रवन, मउघाट, सुनौराखिरिया, गुसाई का मजरा, दुनातर, पारी, बनियानी, खिरक, मोहनगढ़ तिगैला सहित कुल 59 ग्राम/नगर की राजस्व सीमायें सम्मिलित रहेंगी तदनुसार सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु अधिसूचना जारी की जाती है।

केदार शर्मा, जिला मजिस्ट्रेट एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश

धार, दिनांक 12 जनवरी 2016

क्र. 828-व.लि.-2015.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रम 04 नियम 08 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्र. एम-3-23-1999-1-4, दिनांक 30 मार्च 1999 के तहत मैं, जयश्री कियावत, कलेक्टर, जिला धार, वर्ष 2016 के लिये धार जिले की सीमा क्षेत्र हेतु निम्नानुसार उनके सम्मुख दर्शाई तिथियों को स्थानीय अवकाश घोषित करती हूँ:—

अ. क्र. (1)	त्यौहार का नाम (2)	तिथी एवं वार (3)	दिनांक (4)	विवरण
1	रंगपंचमी	चैत्र कृष्णपक्ष-5 सोमवार	28-3-2016	संपूर्ण धार जिले के लिए
2	श्री शंकर सवारी (छबीना).	भाद्र कृष्ण पक्ष-13 मंगलवार का दूसरा दिन.	30-8-2016	संपूर्ण तहसील बदनावर के लिए
3	अन्तचतुदशी दूसरा दिन	भाद्र शुक्ल पक्ष-15 शुक्रवार	16-9-2016	संपूर्ण धार जिले के लिए
4	उर्स	पौष कृष्ण-10 शुक्रवार	23-12-2016	तहसील बदनावर को छोड़कर संपूर्ण धार जिले के लिए.

उक्त अवकाश बैंक एवं कोषालय, उप कोषालय पर लागू नहीं होंगे.

जयश्री कियावत, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी निर्वाचन), जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश
नरसिंहपुर, दिनांक 5 फरवरी 2016

क्र. 23-मंडी-निर्वा.-2015-16.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, नरेश पाल कलेक्टर, नरसिंहपुर मंडी अधिनियम की धारा 11(1)(घ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (लोकसभा तथा विधान सभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम-निर्देशन) नियम, 2010 के अन्तर्गत नरसिंहपुर जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद् प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ:—

मण्डी का नाम (1)	नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता (2)	मण्डी अधिनियम की धारा (3)
नरसिंहपुर	श्री भरत सिंह पटैल आ. श्री चौ. खूबसिंह, आयु 55 वर्ष, निवासी मु. पो. मगरधा तह. जिला नरसिंहपुर.	मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (घ).
करेली	श्री जालम सिंह पटैल, विधायक, नरसिंहपुर	मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (घ).
नरसिंहपुर	श्री नारायण प्रसाद दुबे आ. श्री भवानी प्रसाद दुबे, आयु 44 वर्ष, निवासी मु. बम्होरी, पो. मलाहपिपरिया तह. जिला नरसिंहपुर.	मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (ज).
गाडरवारा	श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत आ. श्री जुझार सिंह राजपूत, आयु 55 वर्ष, निवासी मु. पो. मेहरागांव, तह. गाडरवारा जिला नरसिंहपुर.	मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (ज).
करेली	श्री सरदार सिंह कौरव आ. श्री डिल्लीपत कौरव, आयु 56 वर्ष, निवासी मु. खैरी पो. इमलिया (बघोरा), तह. गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर.	मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (ज).
गोटेगांव	श्री लक्ष्मण सिंह पटैल आ. श्री नेहलाल पटैल, आयु 59 वर्ष, निवासी मु. पो. रूद्र वार्ड गोटेगांव, तह. गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर.	मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (ज).
तेन्दूखेड़ा	श्री हरिप्रताप ममार आ. श्री तेजराम ममार आयु 40, वर्ष निवासी मु. पो. कौड़िया, तह. गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर.	मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (ज).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, एवं पदेन उपसचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

हरदा, दिनांक 12 फरवरी 2016

क्रमांक 1754 मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा नगर पालिका हरदा की सीमाओं के अंदर निम्न परिशिष्ट में दर्शाये स्थानीय क्षेत्र को सम्मिलित करने का अभिप्राय प्रकट करता है। उक्त परिशिष्ट में परिभाषित क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति निवासी यदि उसमें अन्तर्विष्ट किसी बात के माध्यम के संबंध में आपत्ति हो तो लिखित में वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर कलेक्टर हरदा को प्रस्तुत कर सकेगा प्राप्त आपत्तियों पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जावेगा।

परिशिष्ट – एक

नगर पालिका हरदा की सीमा में सम्मिलित किये जाने वाले ग्रामों की प्रस्तावित भूमि निम्नानुसार है:-

जिला	तहसील	ग्राम/क्षेत्र का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्र का विवरण		क्षेत्रफल का विवरण
			खसरा नंबर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	
1	2	3	4	5	6
हरदा	हरदा	हरदा खास	1, 2, 3, 4, 5, 8, 144, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164	105.651	
		बैरागढ	1 से 133 तक संपूर्ण राजस्व ग्राम की सीमा	283.795	
		खेडीमेहमूदाबाद	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/1, 21/2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65/1, 65/2, 66/1, 66/2, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119	492.167	
		दूधकच्छ	1 से 91 तक संपूर्ण राजस्व ग्राम की सीमा	259.119	
		कुलहरदा	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/1, 21/2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31/1	170.600	

			,31/2, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46/1, 46/2, 47, 48, 49		
		हरदा खुर्द	1 से 745 तक संपूर्ण राजस्व ग्राम की सीमा	1026.942	
		उडा	1 से 418 तक संपूर्ण राजस्व ग्राम की सीमा	1105.697	
		रिछाडिया	1 से 90 तक संपूर्ण राजस्व ग्राम की सीमा	300.850	
		बिरजाखेडी	1 से 33 तक संपूर्ण राजस्व ग्राम की सीमा	104.231	

अनुसूची - दो

उपरोक्त अनुसूची में दर्शाये गये क्षेत्र सम्मिलित होने के पश्चात् हरदा नगर पालिका परिषद की चतुरस्रीमा निम्नानुसार होगी:-

उत्तर दिशा:- ग्राम रिछाडिया खसरा नंबर 1, सुकनी नदी के दक्षिण किनारे के खसरा नंबर 2, 9, 13, 14 की उत्तरी सीमा को लेते हुये ग्राम रिछाडिया व कुलहरदा त्रीमेढे से होते हुये हरदाखुर्द के भूमि खसरा क्रमांक 2, व एन.एच. 59ए को पार करते हुये हरदा खुर्द खसरा नंबर 30, 31, 32, 33, 79, 82, 83, 84, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 182, 183, 184, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 251, 252, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 285, 290 को लेते हुये ग्राम हरदाखुर्द व अबगांव खुर्द के त्रीमेढे तक तथा अबगांव खुर्द व हरदा खुर्द के कांकड से होते हुये ग्राम हरदाखुर्द व अबगांव खुर्द के त्रीमेढे से हरदा खुर्द की उत्तरी सीमा के भूमि खसरा नंबर 289, 290, 291, 294, 295 तक होते हुये संपूर्ण राजस्व ग्राम हरदा खुर्द को लेते हुये ग्राम अबगांव खुर्द व ग्राम उडा के त्रीमेढे से होते हुये ग्राम उडा के खसरा नंबर 10, 259, 260/1, 260/2, 261, 262, 264 व 265 से होते हुए ग्राम उडा अबगांव खुर्द, खिडकीवाला के त्रीमेढे तक।

पूर्व दिशा:- ग्राम उडा, अबगांवखुर्द व खिडकीवाला के त्रीमेढे से होते हुये ग्राम उडा के पूर्वी कांकड के खसरा नम्बर 265, 266, 267, 272, 273, 274, 275 से एन.एच. 59ए को पार करते हुये ग्राम उडा के खसरा नंबर 299, 300, 330, 331, 339, 350, 372 तक आकर ग्राम खिडकीवाला, उडा व कोटल्याखेडी के त्रीमेढे तक।

दक्षिण दिशा:- ग्राम खिडकीवाला, कोटल्याखेडी व उडा के त्रीमेढे से दक्षिणी सीमा शुरू होकर टिमरन नदी के उत्तरी किनारे-किनारे ग्राम उडा के खसरा नंबर 135, 143, 144, 145, 158, 159, 160, 161, 373, 374, 386, 387, 388, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 399, 402/1, 402/2, 403, 404, 405, 410 को लेते हुये संपूर्ण उडा ग्राम से ग्राम उडा, दूधकच्छखुर्द व कोटल्याखेडी के त्रीमेढे तक व ग्राम दूधकच्छ खुर्द के खसरा नंबर 24, 25, 52/1, 52/2, 53, 54, 58, 61, 87, 92, 94, 95, 96, 97, 98 तक अजनाल नदी व ग्राम दूधकच्छ खुर्द, रूपी परेटिया व बिरजाखेडी का त्रीमेढा पार कर बिरजाखेडी के खसरा नंबर 11, 12, 13, 14, 16, 17, 25, 30, 31, 32, 33 लेते हुए

संपूर्ण राजस्व ग्राम बिरजाखेडी लेते हुये ग्राम रहटों, बिरजाखेडी व बैरागढ के त्रीमेढे से होते हुये ग्राम बैरागढ के खसरा नंबर 14, 15, 16, 18, 19, 20, 63, 65, 97, 68, 69, 71, 73, 80, 81, 91, 92, 117, 118, 119 लेते हुये ग्राम कडोला उबारी, बैरागढ व सामरधा के त्रीमेढे तक होकर खण्डवा रोड तक।

पश्चिम दिशा:- ग्राम बैरागढ, कडोला उबारी व सामरधा के त्रिमेढे से पश्चिमी सीमा शुरू होकर ग्राम बैरागढ के कांकड से होते हुये बैरागढ के खसरा नंबर 1, 2, 3, 11, 12/1, 12/2 से अजनाल नदी पार करते हुये ग्राम खेडी मेहमूदाबाद के अजनाल नदी के उत्तरी किनारे-किनारे खेडीमेहमूदाबाद के खसरा नंबर 40, 43, 44, 45, 47, 60/2, 64, 66/2 से होते हुये ग्राम खेडीमेहमूदाबाद व नहारखेडा के त्रिमेढे तक होते हुये नहालखेडा व खेडीमेहमूदाबाद के कांकड होते हुये खेडीमेहमूदाबाद के खसरा नंबर 7, 37, 39, 41, 42 से होते हुये रिछाडिया, खेडीमेहमूदाबाद व नहालखेडा के त्रिमेढे तक मुल्लाजी का नाला पार करते हुये ग्राम रिछाडिया के खसरा नंबर 35, 36, 37, 38, 39 तक।

No. 1754.— In exercise of the powers conferred in Section 5 (K) of Madhya Pradesh Municipal Act, 1961 (No.37 pg 1961), the District Government hereby signify their intension to include within the limit of Municipal Council, Harda, District Harda, the local areas which are defined in the Schedule below. Any adult inhabitant of the local defined in the Schedule may submit his objection in writing to the Collector, Harda within 30 Days from the date of this notification for the consideration of the State Government.

SCHEDULE-1

The area of the vilages proposed tobe included in the area limit of the Nagar Palika Harda shall be as follows :-

District	Tehsil	Name of Vilage	Details of Area	
			Khasra No	Area (in hect.)
1	2	3	5	6
Harda	Harda	Hardakhas	1, 2, 3, 4, 5, 8, 144, 156, 157,159,160,161,162,163, 164	105.651
		Bairagarh	1 To 33 whole revenue vilage area	283.795
		Kherimehmud abad	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/1, 21/2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65/1, 65/2, 66/1, 66/2, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119	492.167
		Dudhkacchha	1 to 91 whole revenue vilage area	259.119
		Kulharda	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/1, 21/2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31/1, 31/2, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46/1, 46/2, 47, 48, 49	170.600
		Harda khurd	1 To 745 Whole revenue vilage area	1026.942

		uda	1 To 418 745 Whole revenue village area	1105.697	
		Richhariya	1 To 90 Whole revenue village area	300.850	
		Birjakhari	1 To 33 Whole revenue village area	104.231	

SCHEDULE-2

The revised boundary of the Municipal Council Harda after the inclusion of the area prescribed in Schedule- 1 above is as follows:-

North :- Village Richhadiya Khasra No 1 from southern side of Sukani river including northern side of khasara No 2, 9, 13, 14 of Village Richhadiya and meeting point via Hardakhurd land khasra No. 2 and after crossing of N.H. 59 A to Hardakhurd Including khasra No 30, 31, 32, 33, 79, 82, 83, 84, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 182, 183, 184, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 251, 252, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 285, 290 to include point of Hardakhurd and Abgaonkhurd via custom line of Abgaonkhurd and Hardakhurd from meeting point of Village Hardakhurd & Abgaonkhurd upto northern boundry of Hardakhurd Khasra No 289, 290, 291, 294, 295 Including whole revenue village of Hardakhurd to the meeting point of Abgaonkhurd and village through Uda's khasra No 10, 259, 260/1, 260/2, 261, 262, 264 265 upto the meeting point of villages Uda, Abgaonkhurd and Khirkiwala.

East:- From meeting point villages Uda, Abgaonkhurd & Khirkiwala via village Uda eastern custom of khasra No. 265, 266, 267, 272, 273, 274, 275 after crossing of NH59A then through khasra No. 299, 300, 330, 331, 339, 350, 372 of village Uda to meet the point of village Khirkiwala, Uda & Kotalaya khedi meeting point.

South:- The joining point of Village Khirkiwala, Kotalaya khedi and Uda southern boundary will start and side by side of Timran river to village Uda's including khasra No 135, 143, 144, 145, 158, 159, 160, 161, 373, 374, 386, 387, 388, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 399, 402/1, 402/2, 403, 404, 405, 410 and whole village of Uda to meeting point of Dudhkachha and Kotalyakhedi and village Doothkachha khurd upto khasara No 24, 25, 52/1, 52/2, 53, 54, 58, 61, 87, 92, 94, 95, 96, 97, 98 Ajnal river and after crossing of meeting point of Doothkachhkhurd, Rupiparetiya and Birjakhari khasra No of Birjakhari 11, 12, 13, 14, 16, 17, 25, 30, 31, 32, 33 including whole revenue villages of Birjakhedi, Rahatakhurd, Biragarh via khasra No 14, 15, 16, 18, 19, 20, 63, 65, 97, 68, 69, 71, 73, 80, 81, 91, 92, 117, 118, 119 Upto Village Kadola ubari, Bairagarh and Samardha up to Khandwa road.

West:- The joining point of village Bairagarh, Kadola ubari and Samardha, western Boundry will start and via custom line of Bairagarh from khasra No 1, 2, 3, 11, 12/1, 12/2 then cross Ajnal river to village Khedimehmudabad and northern side of Ajnal river via Khasara no of Village Khedimehmudabad 40, 43, 44, 45, 47, 60/2, 64, 66/2 to meet the point of village Khedimehmudabad, Nahal khera via custom line of Nahalkheda and Khedimehmudabad. Then khasra No. 7, 37, 39, 41, 42 of village Khedimehmudabad via meeting point of Richhriya, Khedimehmudabad & Nahalkheda and after crossing of mullaji ka nala upto khasara No. 35, 36, 37, 38, 39 of village Richariya.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकांत बनोट, कलेक्टर.

कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 18 जनवरी 2016

क्र. 2016-280.—मध्य भारत सिंहस्थ मेला अधिनियम, 1955 (अधिनियम क्र. 27, सन् 1955) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, कवीन्द्र कियावत, जिला दण्डाधिकारी, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश, उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ—2016 हेतु निम्नानुसार अस्थाई मेला क्षेत्र घोषित करता हूँ :—

क्षेत्र	रकबा (हेक्टे.)
1. कस्बा उज्जैन	8.623

टीप.—उक्त सर्वे नम्बर की जानकारी तथा नक्शे तहसील कार्यालय, उज्जैन में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु उपलब्ध रहेंगे.

उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ—2016 हेतु कस्बा उज्जैन की उक्तानुसार सर्वे क्रमांक की भूमि अधिसूचित किये जाने हेतु :—

सर्वे क्रमांक (1)	रकबा (हेक्टे.) (2)
3217/1	0.282
3217/2	0.920
3218/1	2.184
3218/2	3.690
कुल रकबा : 8.623	

उज्जैन, दिनांक 1 फरवरी 2016

क्र. 2016-499.—मध्य भारत सिंहस्थ मेला अधिनियम, 1955 (अधिनियम क्र. 27, सन् 1955) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, कवीन्द्र कियावत, जिला दण्डाधिकारी, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश, उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ—2016 हेतु निम्नानुसार अस्थाई मेला क्षेत्र घोषित करता हूँ :—

क्षेत्र	रकबा (हेक्टे.)
1. ग्राम गोठड़ा	0.823

टीप.—उक्त सर्वे नम्बर की जानकारी तथा नक्शे तहसील कार्यालय, उज्जैन में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु उपलब्ध रहेंगे.

उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ-2016 हेतु ग्राम गोठड़ा की उक्तानुसार सर्वे क्रमांक की भूमि अधिसूचित किये जाने हेतु :—

सर्वे क्रमांक (1)	रकबा (हेक्टे.) (2)
70/11/1	0.150
71/1/2	0.310
71/1/3/1	0.110
71/1/1	0.253
कुल रकबा : 0.823	

उज्जैन, दिनांक 16 फरवरी 2016

क्र. सिंहस्थ-2016-2016-907.—मध्य भारत सिंहस्थ मेला अधिनियम, 1955 (अधिनियम क्र. सन् 1955) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, कवीन्द्र कियावत, जिला दण्डाधिकारी, जिला उज्जैन, (म. प्र.) उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ-2016 के लिये पड़ाव क्षेत्र, पार्किंग, हैलिपेड इत्यादि हेतु निम्नानुसार अस्थाई मेला क्षेत्र घोषित करता हूँ :—

क्षेत्र	रकबा (हेक्टे.)
1. ग्राम कमेड़, तह. घट्टिया	122.018
2. ग्राम कोलूखेड़ी, तह. घट्टिया	53.961
3. कस्बा उज्जैन, तह. उज्जैन	74.292
4. ग्राम सदावल, तह. उज्जैन	75.418
5. ग्राम मंगरौला, तह. उज्जैन	42.260
6. ग्राम निनौरा, तह. उज्जैन	19.020
7. ग्राम ढेंडिया	0.459
8. ग्राम गोठड़ा	11.704
कुल योग : 399.132	

टीप.—उक्त सर्वे नम्बर की जानकारी तथा नक्शे तहसील कार्यालय, उज्जैन में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु उपलब्ध रहेंगे.

कवीन्द्र कियावत, जिला दण्डाधिकारी.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 5 जनवरी 2016

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ.-10-पत्र क्र.331-भू-अर्जन-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1)-2014-सात-शा.2ए, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1) सतना	(2) नागौद	(3) दतुनहा	(4) 2.614	कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग, पन्ना.	भितरी मुटमुरू तालाब योजना में नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 19 जनवरी 2016

प्र. क्र. 052-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) पन्ना	(2) पवई	(3) सिमरा बहादुर	(4) निजी भूमि रकबा 31.76 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 7.08 है. <u>कुल रकबा 38.84 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 2 फरवरी 2016

प्र. क्र. 066-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
पन्ना	देवेन्द्रनगर	फुलदरी	निजी भूमि रकवा 8.04 है. एवं शासकीय भूमि रकवा 0.19 है. <u>कुल रकवा 8.23 है.</u>	उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे.	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 किमी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 058-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन भू-अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
पन्ना *	देवेन्द्रनगर	जिगदहा	निजी भूमि रकवा 2.34 है. एवं शासकीय भूमि रकवा 0.25 है. <u>कुल रकवा 2.59 है.</u>	उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे.	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 किमी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 059-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है

राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	देवेन्द्रनगर	नुनाही	निजी भूमि रकबा 4.86 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.47 है. कुल रकबा 5.33 है.	उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे.	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 किमी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 060-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	देवेन्द्रनगर	रेमजीसागर	निजी भूमि रकबा 4.140 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.136 है. कुल रकबा 4.276 है.	उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे.	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 किमी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 061-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	देवेन्द्रनगर	पिपरिया	निजी भूमि रकबा 2.350 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.150 है. कुल रकबा 2.500 है.	उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे.	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 किमी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 062-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	देवेन्द्रनगर	दुबहिया	निजी भूमि रकवा 7.30 है. एवं शासकीय भूमि रकवा 0.08 है. <u>कुल रकवा 7.38 है.</u>	उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे.	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 किमी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 063-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	देवेन्द्रनगर	बमुरी	निजी भूमि रकवा 1.389 है. एवं शासकीय भूमि रकवा 0.000 है. <u>कुल रकवा 1.389 है.</u>	उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे.	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 किमी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 064-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है

राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	देवेन्द्रनगर	सिमरी वैश्य	निजी भूमि रकवा 5.15 है. एवं शासकीय भूमि रकवा 0.14 है. <u>कुल रकवा 5.29 है.</u>	उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे.	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 किमी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपमुख्य अभियंता निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवनारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 20 जनवरी 2016

प्र. क्र. 01-अ-82-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. चूंकि बानसुजारा परियोजना के नहर निर्माण में आने वाले अधिकांश भू-भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है. इसी परियोजना के नहर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	एवं 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	मोने का खेरा	0.690	भू-अर्जन अधिकारी, टीकमगढ़	बानसुजारा परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 23 जनवरी 2016

क्र. 350-भू-अर्जन-2015-16-प्र. क्र. 05-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील का नाम	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(1) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	हटा	कुलुवाकलां तिदनी छोटी	0.03 0.48	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, दमोह संभाग, दमोह.	कुलुवाकलां से रनेह मार्ग निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.
		योग . .	0.51		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, दमोह संभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 27 जनवरी 2016

प. क्र. 577-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	बड़ागाँव	1.200	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग सिरमौर, जिला रीवा. (मध्यप्रदेश).	त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 579-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौथर	अंतरौली	2.115	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग सिरमौर, जिला रीवा (मध्यप्रदेश).	त्यौथर उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

प. क्र. 581-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 (1) की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जबा	नगमा	4.85	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर त्योंथर बहाव योजना के महाना वितरक नहर की माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 583-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा

(1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 (1) की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जबा	लूक चक नं. 5	1.700	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर त्योंथर बहाव योजना की महाना वितरक नहर की माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 585-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 (1) की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जबा	भड़रा	2.700	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर त्योंथर बहाव योजना की महाना वितरक नहर की माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 587-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) के उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा

(1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 (1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जबा	लूक चक नं. 1	4.500	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर त्योंथर बहाव योजना की महाना वितरक नहर की माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 589-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि पटना माइनर में आने वाली अधिकांश भाग के भूमि-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है पटना माइनर के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भूमि अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण		धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	पटना	0.750	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	अतिरिक्त सैच्य हेतु पटना माइनर का विस्तार कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 591-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा

11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि पटना माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भूमि-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है पटना माइनर के निर्माण हेतु कुछ अंशभाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	अमरकच्छ	0.070	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	अतिरिक्त सैच्य हेतु पटना माइनर का विस्तार कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

रीवा, दिनांक 30 जनवरी 2016

प. क्र. 593-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन व पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 (1) की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	गौरइया	1.60	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्रमांक 2 सतना, (मध्यप्रदेश).	बाणसागर पुरवा नहर के अन्तर्गत आने वाली पतेर माइनर एवं गौरइया माइनर नं. 1 एवं 2.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 1 फरवरी 2016

प्र. क्र. 154-अ-82-2015-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि इस योजना के डूब क्षेत्र हेतु आने वाले अधिकांश भू-भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में पूर्ण की जा चुकी है. इस योजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 11 की उपधारा		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	बिजावर	जैतपुर	05.530	भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर	जुनवानी तालाब योजना की नहर कार्य ग्राम जैतपुर.

(2) भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 3 फरवरी 2016

क्र. 1048-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा ब्राड गेज अमान परिवर्तन जो कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकारी अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	कटंगी	चिकमारा प.ह.नं. 24 रा.नि.मं. कटंगी.	रकबा 9.303 हे. एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी तहसील कटंगी, जिला बालाघाट.	कटंगी से तिरोड़ी ब्राडगेज अमान परिवर्तन निर्माण के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dm_balaghat@nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देख सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील कटंगी, जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण उप मुख्य अभियंता (निर्माण) द. पू. म. रेलवे नागपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 1049-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा ब्राड गेज अमान परिवर्तन जो कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	कटंगी	अर्जुननाला प.ह.नं. 10/1,2 रा.नि.मं. कटंगी.	रकबा 9.369 हे. एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां	भू-अर्जन अधिकारी तहसील कटंगी, जिला बालाघाट.	कटंगी से तिरोड़ी ब्राडगेज अमान परिवर्तन निर्माण के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dm.balaghat@nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देख सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील कटंगी, जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण उप मुख्य अभियंता (निर्माण) द. पू. म. रेलवे नागपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 1050-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा ब्राड गेज अमान परिवर्तन जो कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	तिरोड़ी	तिरोड़ी प.ह.नं. 24 रा.नि.मं. तिरोड़ी.	रकबा 1.702 हे. एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी तहसील कटंगी, जिला बालाघाट.	कटंगी से तिरोड़ी ब्राडगेज अमान परिवर्तन निर्माण के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [dm balaghat@nic.in](mailto:dm_balaghat@nic.in) एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देख सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील कटंगी, जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण उप मुख्य अभियंता (निर्माण) द. पू. म. रेलवे नागपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

बालाघाट, दिनांक 5 फरवरी 2016

क्र. 1081-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा ब्राड गेज अमान परिवर्तन जो कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	कटंगी	चौखण्डी प.ह.नं. 23 रा.नि.मं. कटंगी.	रकबा 7.920 हे. एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी तहसील कटंगी, जिला बालाघाट.	कटंगी से तिरोड़ी ब्राडगेज अमान परिवर्तन निर्माण के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dm_balaghat@nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देख सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील कटंगी, जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण उप मुख्य अभियंता (निर्माण) द. पू. म. रेलवे नागपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 1082-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा ब्राड गेज अमान परिवर्तन जो कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	तिरोड़ी	हीरापुर प.ह.नं. 13 रा.नि.मं. तिरोड़ी.	रकबा 4.014 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी तहसील कटंगी, जिला बालाघाट.	कटंगी से तिरोड़ी ब्राडगेज अमान परिवर्तन निर्माण के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईड [dm balaghat@nic.in](mailto:dm_balaghat@nic.in) एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देख सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील कटंगी, जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण उप मुख्य अभियंता (निर्माण) द. पू. म. रेलवे नागपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 1083-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा ब्राड गेज अमान परिवर्तन जो कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात

निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील नगर/ग्राम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	तिरोड़ी	पौनिया प.ह.नं. 23 रा.नि.मं. तिरोड़ी.	रकबा 11.320 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी तहसील कटंगी, जिला बालाघाट.	कटंगी से तिरोड़ी ब्राडगेज अमान परिवर्तन निर्माण के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [dm balaghat@nic.in](mailto:dm_balaghat@nic.in) एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mpvenue.nic.in/> पर भी देख सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील कटंगी, जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, उप मुख्य अभियंता (निर्माण) द. पू. म. रेलवे नागपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 31 दिसम्बर 2015

क्र. 6877-भू-अर्जन-तेन्दूखेड़ा-2014-15.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—तेन्दूखेड़ा
(ग) ग्राम—बैलढाना
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.73 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित (क्षेत्रफल) रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
23	0.38
31	0.35
	योग . . 0.73

कुल अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा—0.73 हेक्टर

भूमि का नक्शा (प्लॉन) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तेन्दूखेड़ा (दमोह) तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्री निवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 19 जनवरी 2016

प्र. क्र. 209-अ-82-वर्ष 2014-15.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार

अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—शाहनगर
(ग) ग्राम—पिपरिया बराहो, प. ह. नं. 44
(घ) क्षेत्रफल—3.25 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
87	0.30	निजी भूमि
58	0.05	निजी भूमि
14	0.03	निजी भूमि
84	0.18	निजी भूमि
88	0.03	निजी भूमि
85	0.34	निजी भूमि
77	0.26	निजी भूमि
74	0.08	निजी भूमि
41	0.07	निजी भूमि
10	0.07	निजी भूमि
71	0.21	निजी भूमि
61	0.03	निजी भूमि
62	0.07	निजी भूमि
107	0.04	निजी भूमि
73	0.04	निजी भूमि
60	0.03	निजी भूमि
64	0.07	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(ग) ग्राम—टीकुल पौड़ी, प. ह. नं. 45	(घ) क्षेत्रफल—0.63 हेक्टेयर.	
			खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
			(1)	(2)	(3)
66	0.12	निजी भूमि			
67	0.11	निजी भूमि			
72	0.20	निजी भूमि			
54	0.25	निजी भूमि			
53/1	0.03	निजी भूमि	592	0.06	निजी भूमि
11	0.01	निजी भूमि	596	0.02	निजी भूमि
43	0.13	निजी भूमि	581	0.01	निजी भूमि
42	0.10	निजी भूमि	593	0.06	निजी भूमि
13	0.03	निजी भूमि	595	0.10	निजी भूमि
9	0.07	निजी भूमि	571	0.20	निजी भूमि
31	0.07	निजी भूमि	551	0.12	निजी भूमि
17	0.04	निजी भूमि	550	0.06	निजी भूमि
16	0.01	निजी भूमि			
36	0.15	निजी भूमि			
12	0.03	निजी भूमि			
कुल रकबा निजी भूमि . . 3.25			कुल रकबा निजी भूमि . . 0.63		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मैनहा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर में किया जा सकता है.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—मैनहा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 210-अ-82-वर्ष 2014-15.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—शाहनगर

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—शाहनगर
(ग) ग्राम—पौड़ीकलां, प. ह. नं. 44
(घ) क्षेत्रफल—1.53 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)	भूमि का प्रकार (3)
874	0.10	निजी भूमि
867	0.04	निजी भूमि
873	0.01	निजी भूमि
866	0.05	निजी भूमि
851	0.07	निजी भूमि
852	0.06	निजी भूमि
617	0.03	निजी भूमि
836	0.04	निजी भूमि
674	0.01	निजी भूमि
633	0.09	निजी भूमि
681	0.04	निजी भूमि
677	0.08	निजी भूमि
678	0.07	निजी भूमि
673	0.04	निजी भूमि
649	0.07	निजी भूमि
652	0.07	निजी भूमि
654	0.04	निजी भूमि
655	0.06	निजी भूमि
640	0.01	निजी भूमि
631	0.04	निजी भूमि
632	0.03	निजी भूमि
622	0.07	निजी भूमि
618	0.08	निजी भूमि
607	0.06	निजी भूमि
601	0.02	निजी भूमि
90	0.09	निजी भूमि
86	0.09	निजी भूमि
87	0.07	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . . .		1.53

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 27 जनवरी 2016

पत्र क्र. 575-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—जवा
(ग) ग्राम—पैपखरा कोठार
(घ) क्षेत्रफल —3.039 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

180	0.068	-
181	0.183	-
185	0.151	-
186	0.295	-
195	0.004	-
196	0.079	-
197	0.118	-
198	0.011	-
239	0.041	-
240	0.002	-
241	0.026	-
242	0.070	-
243	0.055	-
244	0.083	-
245	0.083	-
246	0.083	-
247	0.003	-
248	0.025	-
249	0.083	-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मैनहा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

(1) (2) (3)

250 0.011 -

255 0.104 -

260 0.051 -

261 0.197 -

262 0.108 -

275 0.047 -

276 0.163 -

277 0.012 -

278 0.184 -

279 0.045 -

282 0.047 -

283 0.257 -

284 0.090 -

285 0.039 -

307 0.057 -

योग . . . 2.875

(ब) शासकीय भूमि

1 - 0.164

योग . . . - 0.164

महायोग . . . 3.039

पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—राजनगर

(ग) नगर/ग्राम—बसारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.651 हेक्टर.

भूमि का अर्जित रकबा
खसरा नंबर (हेक्टेयर में)

(1) (2)

1132 0.428

1135 0.080

1142/2 0.050

1136 0.410

1139 0.450

1090/1 0.420

1087/1 0.130

1084 0.130

1083 0.520

1046 0.500

1045/1 0.410

1221 0.010

1223/1 0.122

1223/2 0.040

1224/2 0.550

1138/2 0.530

1225 0.320

1228 0.100

1338 0.028

1340/1 0.140

1339/1 0.060

1341/1 0.130

1339/2 0.060

1341/2 0.130

1342 0.145

1343 0.280

1344/1 0.250

1363 0.070

1717 0.040

1750 0.010

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “टमस मुख्य नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 3 फरवरी 2016

प्र. क्र. 02-अ-82-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन

(1)	(2)	प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
1752	0.105		
3021/1/क/1	0.485		
3028/1	0.310	249, 250	0.555
1318	0.183	253	0.177
1319	0.140		
2955/1/1	0.250	254/2	0.093
3013/1/1	0.135	255/2	0.222
3013/1/2	0.135	255/1	0.333
3011/2	0.015		
3010	0.150	256/3	0.142
3046	0.200	256/2	0.132
कुल योग . .	8.651	257/1, 267/1	0.173

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—ललितपुर-सिंगरौली (खजुराहो) नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर भू-अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 9 फरवरी 2016

क्र. 1165-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चाँद

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-सीदप

ब.नं. 283, प.ह.न. 25,

रा.नि.मंडल-पांजरा.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल.— 01.827 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

योग . . 1.827 हेक्टेयर एवं
प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर
आने वाली
संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली हरदुआ शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 02 सिंगना तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1166-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चाँद

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-परसोली

ब.नं. 158, प.ह.न. 14,

रा.नि.मंडल-पांजरा.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल.— 16.305 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)	(1)	(2)
		283/4	0.380
		268/4, 268/5, 283/1	0.532
		428/4	0.138
		428/7	0.026
		284/6, 428/9	0.154
		428/10	0.080
		284/4	0.020
		428/6	0.214
		419/1, 422/1	0.042
		419/2, 422/2	0.118
		382	0.008
		418	0.026
		414/3, 414/4, 414/5	0.014
		383/1, 384/1, 385/1	0.410
		383/2, 384/2, 385/2	0.278
		389/3, 404, 405, 406	0.078
		471/10	0.014
		471/8	0.058
		471/3	0.077
		471/2	0.046
		471/4	0.340
		471/5, 471/7	0.020
		471/14, 472/1	0.210
		463	0.032
		464, 465	0.008
		462/2, 478/2	0.231
		454/1	0.234
		453/1, 458	0.406
		453/3, 455, 456	0.358
		446/5	0.347
		446/6	0.874
		491/9	0.290
		491/8	01.100
		568/4	0.132
		566/2, 567/2, 568/12	0.166
		569/4	0.448
		568/7	0.020
		568/6, 570/2	0.194
		568/13, 570/3	0.160
		570/1	0.308
		270/6	0.130
		193, 270/3	0.096
		192	0.098
		190	0.086
337/1	0.320		
338	0.280		
336	0.042		
334/1	0.102		
335	0.180		
289, 377/9	0.196		
314/2, 332, 334/2	0.014		
313, 314/1, 332/4, 334/3	0.482		
314/4, 315/4	0.404		
314/3, 315/3	0.288		
299/3, 306, 377/2	0.460		
299/2, 303/2	0.084		
305/2, 307/5	0.083		
307/4	0.036		
290	0.072		
279/2	0.068		
282/1, 288/1	0.332		
280/1	0.480		
268/2	0.180		
270/2	0.230		
280/2	0.057		
258, 259, 268/3	0.126		
283/3	0.270		
283/5	0.312		

(1)	(2)
189	0.082
187/2	0.066
186/2	0.040
187/1	0.176
186/4	0.010
162/5, 163	0.426
174/1	0.386
174/2	0.252
177, 270/11	0.084
215/4	0.140
215/7	0.260
215/5	0.284

योग . . . 16.305 हेक्टेयर एवं
प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर
आने वाली
संपत्तियां.

क्र. 1167-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चाँद

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम—राजलवाड़ी

ब.नं. 157, प.ह.न. 13,

रा.नि.मंडल-पांजरा.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल.— 02.250 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

	प्रस्तावित	प्रस्तावित रकबा
	खसरा नम्बर	(हे. में)
	(1)	(2)
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के, बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.	19/3	0.160
	21/2, 22, 23, 24	0.070
	19/9	0.050
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.	137	0.170
	16/3	0.190
	138, 146/1 ग, 146/1 ड	0.205
	143/10	0.045
	143/6	0.058
	143/8	0.008
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.	143/7	0.080
	145/2	0.036
	144, 145/1	0.100
	147/2, 149/2	0.075
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.	147/3	0.034
	147/5	0.060
	150/1	0.056
	61/1-2-3, 64/3	0.030
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 02 सिंगना तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.	68/12	0.130
	68/2, 68/6	0.030
	70/1	0.096
	70/3	0.024
	70/9, 79/6	0.030

(1)	(2)
70/7, 79/4	0.026
70/5, 79/2	0.028
80/2	0.106
80/1, 81/1, 82/1	0.052
80/5, 81/2, 82/2	0.052
80/6, 81/3, 82/3	0.040
80/3, 83/1, 84/2,	0.064
222/2, 227/2	
217/3	0.064
217/1	0.038
217/4	0.043
योग . .	02.250 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 02 सिंगना तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1168-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चाँद

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-खुटिया

ब.नं. 49, प.ह.न. 13,

रा.नि.मंडल-चांद

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल.— 0.447 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित प्रस्तावित रकबा

खसरा नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

47/7

0.075

47/2, 59/1, 60/1-2, 62/1

0.072

47/4, 61/2, 62/6

0.045

47/3, 60/3, 61/1, 62/2

0.052

17/1-2

0.080

26/5, 46/1

0.062

26/2

0.002

26/4

0.059

योग . . 0.447 हेक्टेयर एवं

प्रस्तावित

क्षेत्रफल पर

आने वाली

संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.

- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 02 सिंगना तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(1)	(2)
277	10.73
348	0.48
349	0.12
350	0.36
	कुल योग . . 17.94

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 9 फरवरी 2016

क्र. 1283-जि. भू. अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी
(ग) ग्राम—बिठली प. ह. नं. 52/44
(घ) लगभग क्षेत्रफल—17.94 हेक्टर

शासकीय भूमि का रकबा

खसरा नंबर	अर्जित (रकबा (हेक्टर में))
(1)	(2)
260/1	2.06
260/2	4.19

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी
(ग) ग्राम—डूंडासिवनी प. ह. नं. 109
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.528 हेक्टर

शासकीय भूमि का रकबा

खसरा नंबर	अर्जित (रकबा (हेक्टर में))
(1)	(2)
455	0.311
456	0.217
	कुल योग . . 0.528

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 1287-जि. भू. अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित

भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

	(1)	(2)
	228/1	0.175
	229	0.200
अनुसूची	423	0.150
(1) भूमि का विवरण—	419	0.281
(क) जिला—सिवनी	231	0.021
(ख) तहसील—सिवनी	232	0.029
(ग) ग्राम—पीपरडाही प. ह. नं. 62/51	424	0.180
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.02 हेक्टर	421	0.200
शासकीय भूमि का रकबा	418	0.034
		<u>कुल योग . . 1.321</u>

खसरा नंबर	अर्जित (रकबा (हेक्टर में))
(1)	(2)
483	0.02
	<u>कुल योग . . 0.02</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 1289-जि. भू. अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित, भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का विवरण—
- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—सिवनी
- (ग) ग्राम—भोमा टोला प. ह. नं. 52/44
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.321 हेक्टर

	शासकीय भूमि का रकबा
खसरा नंबर	अर्जित (रकबा (हेक्टर में))
(1)	(2)
227	0.051

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 1291-जि. भू. अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का विवरण—
- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—सिवनी
- (ग) ग्राम—सीरदिवान प. ह. नं. 104
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.255 हेक्टर

शासकीय भूमि का रकबा

खसरा नंबर	अर्जित (रकबा (हेक्टर में))
(1)	(2)
124/2	0.077
125/1	0.154
125/2	0.024
	<u>कुल योग . . 0.255</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 1293-जि. भू. अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) ग्राम—सिवनी रैयत प. ह. नं. 104

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.133 हेक्टर

शासकीय भूमि का रकबा

खसरा नंबर	अर्जित (रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
87	0.128
89, 90, 91, 93. . .	2.005
103, 117	
कुल योग . .	<u>2.133</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 1295-जि. भू. अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) ग्राम—कछवाड़ा प. ह. नं. 56/53

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.187 हेक्टर

शासकीय भूमि का रकबा

खसरा नंबर	अर्जित (रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
8	0.130
11	0.057
कुल योग . .	<u>0.187</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनराजू एस., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.